अनुबंध

अनुबंध-1.1(ए)
नमूना चयन के लिए प्रक्रिया और तंत्र
(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)

प्रथम स्तर (जिलों[1])	प्रत्येक क्षेत्र से, डीडीपी जिलों को छोड़कर 25 प्रतिशत जिलों (कम से कम दो) का चयन, 2012-17 के दौरान कुल एनआरडीडब्ल्यूपी व्यय के आकार के आधार पर बिना प्रतिस्थापन आकार के आनुपातिक विधि (पीपीएसडब्ल्यूओआर) के द्वारा किया गया।
	सात राज्यों[2] के 40 डीडीपी जिलों में से, 25 प्रतिशत जिलों (कम से कम दो का चयन करते हुए) का चयन पीपीएसडब्ल्यूओआर विधि द्वारा वर्ष 2012-17 के दौरान इन डीडीपी जिलों में संपूर्ण व्यय के आकार के आधार पर किया गया।
	प्रत्येक चयनित जिले में, 2012-17 के दौरान कुल एनआरडीडब्ल्यूपी व्यय के आकार के आधार पर पीपीएसडब्ल्यूओआर विधि द्वारा विस्तृत परीक्षण के लिए दो प्रभागों का चयन किया गया।
द्वितीय स्तर (ब्लॉक)	पहले चरण में चयनित प्रत्येक जिले के, 20 प्रतिशत ग्रामीण ब्लॉक (न्यूनतम दो और अधिकतम चार) का चयन, वर्ष 2012-17 के दौरान पूर्ण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की संख्या के आधार पर पीपीएसडब्ल्यूओआर विधि द्वारा किया गया था।
तृतीय स्तर (ग्राम पंचायत)	दूसरे चरण में नमूना ब्लॉकों का चयन करने के बाद, प्रत्येक ब्लॉक से दो ग्राम पंचायतों का बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक नमूनाचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) के आधार पर चयन किया गया।
चतुर्थ स्तर (लाभार्थी सर्वेक्षण)	प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में से, चार बस्तियों का चयन एसआरएसडब्ल्यूओआर के आधार पर किया गया। प्रभाव आकलन के उद्देश्य के लिए, एसआरएसडब्ल्यूओआर का उपयोग करते हुए चार चयनित बस्तियों में से प्रत्येक से 10 परिवारों का चयन किया गया।

[1] अधिकतम 10 जिलों का चयन किया जाना था।

[2] आन्ध्र प्रदेश (1), गुजरात (6), हरियाणा (7) हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू व कश्मीर (2) कर्नाटक (6) तथा राजस्थान (16)

अनुबंध-1.1(बी)
सर्वेक्षण की गई बस्तियों का विवरण
(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)

कवर की गई बस्तियों की स्थिति	पूर्णत: कवर की गई	आंशिक कवर की गई	गुणवत्ता प्रभावित	किसी भी जल आपूर्ति योजना द्वारा कवर नहीं
	1,279	976	39	28
बस्तियाँ कवर करने का माध्यम	पाइप द्वारा जल की आपूर्ति	हैंड-पंप/ट्यूब-बेल	अन्य	किसी भी जल आपूर्ति योजना द्वारा कवर नहीं
	1,312	894	88	28
आपूर्ति के स्रोत	भू जल	सतही जल	अन्य	किसी भी जल आपूर्ति योजना द्वारा कवर नहीं
	1738	535	21	28

अनुबंध-1.1(सी)
सर्वेक्षण में लाभार्थियों का प्रोफाइल
(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)

परिवार/लाभार्थी	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल
पुरुष	4,506	2,815	3,032	4,742	15,095
महिला	3,871	2,786	3,365	3,469	13,491
कुल	8,377	5,601	6,397	8,211	28,586

अनुबंध-1.2

चयनित नमूना का विवरण

(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)

राज्य का नाम	जिला		प्रभाग		ब्लॉक		ग्राम पंचायत		बस्ती		लाभार्थी
	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	सर्वेक्षित
आंध्र प्रदेश	13	5	13	9	284	10	182	20	61	44	800
अरुणाचल प्रदेश	16	4	7	6	25	8	299	16	149	64	640
असम	27	9	17	13	107	23	296	46	1,394	184	1,840
बिहार	38	10	12	12	160	20	213	40	187	111	1,600
छत्तीसगढ़	27	8	13	11	51	16	1,347	32	251	113	1,280
गोवा[3]	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	33	10	19	17	81	20	1,197	40	87	73	1,600
हिमाचल प्रदेश	12	6	12	12	38	13	446	26	387	104	1,021
जम्मू एवं कश्मीर	22	7	17	10	55	14	326	29	63	66	698
झारखंड	24	6	8	8	90	19	340	38	848	152	1,520
कर्नाटक	30	10	10	10	60	20	748	40	293	160	1,600
केरल	14	4	15	8	46	8	58	16	295	64	640
मध्य प्रदेश	51	10	10	10	72	22	1,650	44	294	176	1,623
महाराष्ट्र	34	10	0	0	126	27	976	54	109	85	2,160
मणिपुर	9	4	5	5	20	8	387	19	44	38	640
मेघालय	11	4	7	7	16	8	1,653	16	39	35	640
मिजोरम	8	2	6	4	8	4	94	8	9	9	90
नागालैंड	11	3	6	6	22	6	142	22	142	22	220
ओडिशा	30	8	13	13	109	24	540	48	1,113	192	1,920
पंजाब	22	7	17	11	48	14	318	28	30	28	1,080
राजस्थान	33	10	36	18	71	20	654	39	93	87	866
सिक्किम	4	2	0	0	5	4	85	8	156	32	319
तमिलनाडु	31	8	0	0	102	21	583	42	552	168	1,680
तेलंगाना	9	3	7	6	50	10	187	20	59	37	814
त्रिपुरा	8	2	3	3	18	4	102	8	68	31	321
उत्तर प्रदेश	75	10	47	20	118	27	1834	54	397	178	2,160
उत्तराखंड	13	4	16	8	43	10	913	20	133	69	814
कुल	**607**	**168**	**316**	**227**	**1,825**	**380**	**15,570**	**773**	**7,253**	**2,322**	**28,586**

[3] गोवा को लाभार्थी सर्वेक्षण से छूट प्राप्त थी इसलिए जिलों के बाद आगे चयन नहीं किया गया।

अनुबंध-1.3

चयनित जिलों के नाम

(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	चयनित जिले	चयनित जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	5	अनंतपुर, चित्तूर, कडपा, गुंटुर, पश्चिम गोदावरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	पापुम पारे, लोअर सुबानसिरी, पश्चिम सियांग, पश्चिम कामेंग
3.	असम	9	गोलाघाट, धुबरी, नगांव, कछर, कामरूप ग्रामीण, कर्बी आंगलोंग, उदलगुड़ी, हैलाकंडी, जोरहट
4.	बिहार	10	नवादा, समस्तीपुर, बांका, कैमूर (भभुआ), मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी
5.	छत्तीसगढ़	8	रायपुर, कवर्धा, बस्तर, कांकेर, राजनंदगांव, सूरजपुर, जैशपुर, बलौदा बाजार-भाटापाड़ा
6.	गोवा	2	उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा
7.	गुजरात	10	बनांसकाठा, भावनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, सूरत, सुरेंद्रनगर, बडोदरा
8.	हिमाचल प्रदेश	6	कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, शिमला, किन्नौर, लाहौल और स्पीती
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7	जम्मू, रियासी, राजौरी, कुपवाड़ा, पुलवामा, कारगिल, लेह
10.	झारखंड	6	धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम
11.	कर्नाटक	10	बेलगावी, बीदर, चामराजनगर, चित्रदुर्ग, गडग, मांड्या, तुमाकुरु, यादगीर, बागलकोट, कोप्पल
12.	केरल	4	तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, कन्नूर, मलप्पुरम
13.	मध्य प्रदेश	10	ग्वालियर, सिंगरौली, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, विदिशा, टीकमगढ़, रायसेन, उज्जैन
14.	महाराष्ट्र	10	पुणे, सांगली, अहमदनगर, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, बीड, रायगढ़, थाणे, बुलढ़ाणा
15.	मणिपुर	4	विष्णुपुर, चुराचंदपुर, सेनापति, थाऊबल
16.	मेघालय	4	जयंतिया हिल्स[4] , री भोई, पश्चिम गारो हिल्स, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
17.	मिजोरम	2	आइजोल, चम्फई
18.	नागालैंड	3	कोहिमा, दीमापुर, टूएनसांग
19.	ओडिशा	8	गंजाम, नबरंगपुर, नुआपड़ा, जाजपुर, मयूरभंज, कटक, क्योंझर, संबलपुर
20.	पंजाब	7	अमृतसर, एसएएस नगर, बठिंडा, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, पटियाला

[4] जिला जयंतिया हिल्स को जुलाई 2012 में दो जिलों (पूर्व जयंतिया हिल्स और पश्चिम जयंतिया हिल्स) में विभाजित किया गया था। इन दोनों जिलों को नमूना लेने के उद्देश्य से विभाग के साथ इन दो जिलों के अलग-अलग निधियों की अनुपलब्धता के कारण एक जिले के रूप में लिया गया।

21.	राजस्थान	10	बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, डुंगरपुर, टोंक
22.	सिक्किम	2	पूर्व सिक्किम, दक्षिण सिक्किम
23.	तमिलनाडु	8	कोयंबटूर, कुड्डालोर, डिंडीगुल, करूर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, वेल्लोर, विरुधुनगर
24.	तेलंगाना	3	खम्माम, महबूबनगर, नलगोंडा
25.	त्रिपुरा	2	धलाई, पश्चिम त्रिपुरा
26.	उत्तर प्रदेश	10	आगरा, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, इटावा, जी बी नगर, गोरखपुर, जौनपुर, रायबरेली, सोनभद्र
27.	उत्तराखंड	4	अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी
कुल		**168**	

अनुबंध-1.4

पीएसी की संबंधित सिफारिश एवं विसंगतियों का विवरण और वर्तमान लेखापरीक्षा के आधार पर स्थिति

(पैरा 1.5.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	लोक लेखा समिति की मुख्य सिफारिशें	मंत्रालय का उत्तर	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति
1	मंत्रालय द्वारा राज्यों को वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को बस्ती-वार तैयार करने और प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने चाहिए और ऐसे निर्देश केवल कागजी नहीं होने चाहिए, अपितु ठोस परिणाम भी देने वाले हों। **(सिफारिश सं. 7)**	जिला स्तर पर एएपी तैयार किए जाते हैं और जिला स्तर के एएपी को मिलाकर राज्य स्तर के एएपी तैयार किए जाते हैं। हर साल राज्यों द्वारा तैयार किए गए एएपी पर मंत्रालय के साथ चर्चा की जाती है। एएपी के तहत लक्षित बस्तियों को आईएमआईएस पर चिह्नित किया गया है।	10 राज्यों में, जिला स्तर के एएपी तैयार किए बिना राज्य स्तर पर एएपी तैयार किए गए थे। **(पैरा 2.2.3.2)**
2	राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त करने में विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को राज्यों के मुख्य सचिवों के परामर्श से एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि प्रस्तावों को निश्चित रूप से समय पर प्राप्त किया जा सके। **(सिफारिश सं. 8)**	समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए राज्यों को पत्र जारी किए गए।	प्रस्तावों को देरी से प्रस्तुत करने के उदाहरण पाए गए। **(पैरा 2.2.3.2 एवं पैरा 3.2.2)**
3	मंत्रालय को समय-सीमा के भीतर एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे 'स्लिप बैक' बस्तियों के संबंध में यथार्थ डाटा प्राप्त किया जा सके। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए कि बस्तियॉ और स्लिप बैक ना हो और इस संबंध में प्रगति की एक त्रैमासिक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए। इसके अलावा, गैर-कार्यात्मक रूप में रही कई योजनाओं के लिए गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने मंत्रालय को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की जांच करने और हर राज्य में सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक	मंत्रालय ने कई कारणों (जैसे भू-जल निकासी, अनियमित/असमय वर्षा, औद्योगिक/नगर निगम के नालियों के अनियंत्रित निपटान और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग के कारण पानी के दूषित होने पर) का उल्लेख किया था, जिसके कारण स्लिप बैक को समाप्त नहीं किया जा सका। इसे सुधारात्मक और निवारक उपायों (जैसे स्रोतों की स्थिरता, स्थिरता ढांचे के निर्माण) द्वारा निश्चित रूप से कम किया/घटाया जा सकता है जिसके लिए राज्यों को विभिन्न बैठकों/पत्रों के माध्यम से सलाह दी गई है।	स्लिप बैक बस्तियों और गैर-कार्यात्मक योजनाओं के उदाहरण पाये गये **(पैरा 4.5.4 एवं पैरा 4.6)**

क्र.सं.	लोक लेखा समिति की मुख्य सिफारिशें	मंत्रालय का उत्तर	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति
	सुधारात्मक कदम उठाए जाने पर बल दिया। मंत्रालय दोषी राज्यों को वित्तीय सहायता रोकने पर भी विचार कर सकता है। **(सिफारिश सं. 9)**	गैर-कार्यात्मक योजनाओं के संबंध में, राज्यों से कहा गया है कि वे योजनाओं के गैर कार्यात्मक ना होने के लिए सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करें।	
4	सभी राज्यों को तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और मंत्रालय को रिक्त पदों को पूरा करने के लिए राज्यों पर प्रभाव डालना चाहिए ताकि योजना प्रभावी तरीके से लागू की जा सके और गुणवत्तायुक्त जल उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो सकें। मंत्रालय को समय-समय पर क्षेत्रीय यात्राओं या दूसरे माध्यम से राज्यों में जल परीक्षण के संवर्धन की मॉनीटरिंग करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रयोगशाला हर समय कार्यात्मक हैं। **(सिफारिश सं. 10)**	विभिन्न बैठकों के दौरान, राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रयोगशालाओं में तत्काल भर्ती प्रशिक्षित मानवशक्ति की भर्ती करें ताकि जल की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से किया जा सके।	कई राज्यों में जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं, अवसंरचना और उपकरणों की कमी पाई गई। **(पैरा 4.8.1)**
5	मंत्रालय को जल परीक्षण पहलू पर अधिक जोर देना चाहिए और जल की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की आवृत्ति में वृद्धि करना चाहिए। मंत्रालय को राज्यों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार पेयजल के स्रोतों और रासायनिक प्रदूषण के लिए एक वर्ष में कम से कम चार बार परीक्षण करने के लिए निर्देश देना चाहिए, अर्थात हर तिमाही में। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखा जाना चाहिए। **(सिफारिश सं. 11)**	12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के पानी की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग और कवरेज पर मंत्रालय लगातार ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।	सभी चयनित राज्यों में, निर्धारित परीक्षणों में कमी पाई गई थी। इसके अलावा, मापदंडों के विरुद्ध परिकल्पित परीक्षणों के प्रदर्शन के संबंध में कमी भी पाई गई थी। **(पैरा 4.8.2)**
6	फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) की खरीद और वितरण के लिए भविष्य के लक्ष्यों को भी तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक ग्रामीण बस्ती में	वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में, इन किटों के उपयोग के लिए फिल्ड टैस्ट किट की आपूर्ति के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और व्यक्तियों की	आवश्यक एफटीके की गैर-खरीद के उदाहरण, एफटीके का उपयोग नहीं करना

क्र.सं.	लोक लेखा समिति की मुख्य सिफारिशें	मंत्रालय का उत्तर	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति
	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीपी में आधारभूत स्तर पर श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। **(सिफारिश सं. 12)**	संख्या को प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।	और एफटीके के शेल्फ-लाइफ की समाप्ति के मामले पाए गए। **(पैरा 4.8.2)**
7	एक वित्तपोषण एजेंसी होने के नाते यह हमेशा परियोजनाओं को पूरा करने की मॉनीटरिंग के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पर निर्भर था। **(सिफारिश सं. 15)**	मंत्रालय राज्यों द्वारा कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं पर बारीकी से मॉनीटरिंग करने के लिए आईएमआईएस का उपयोग कर रहा है। एएपी की चर्चा के दौरान, अधूरी योजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। नई योजनाएं लेने से पहले राज्यों को अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए आग्रह किया गया है।	अपूर्ण योजनाओं के कई मामले, योजनाएं जो पूरा होने के बाद गैर-कार्यात्मक थीं और छोड़े हुए कार्य पाए गए थे। **(पैरा 4.2.6, 4.2.7 एवं 4.2.9)**

अनुबंध-2.1
वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में कमियां
(पैरा 2.2.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1	**आंध्र प्रदेश**	• वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) स्थानीय भागीदारी के बिना बनायी गयी। इसके अतिरिक्त, योजना पर अनुमोदन हेतु एसएलएसएससी की बैठकों में चर्चा नहीं की गयी। • अल्पसंख्यक बहुल और अन्य पिछड़े समुदायों की बस्तियों को प्राथमिकता देने, स्थायित्व संरचनाओं, जल आपूर्ति वाले विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के कवरेज को एएपी में शामिल नहीं किया गया।
2	**अरूणाचल प्रदेश**	• एएपी को 2012-13 तक 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार किया गया। विभाग ने मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के 55 एलपीसीडी के निर्धारित मानदण्ड के नीचे होने के बावजूद, पानी की कमी वाली बस्तियों (40 एलपीसीडी) की जल आपूर्ति वाली बस्तियाँ) के कवरेज के लिए किसी संवर्धन/सुधार की योजना नहीं बनायी गयी। • पेय जल की कम उपलब्धता वाली बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी।
3	**असम**	• गाँवों/जी.पी. से कोई इनपुट प्राप्त किये बगैर एएपी बनाये गये। • 2012-17 के दौरान एएपी चार माह के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत की गयी।
4	**बिहार**	• 2014-17 के दौरान एएपी 24 दिनों और 78 दिनों के बीच के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत की गयी। • जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों और निम्न कवरेज वाली बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी।
5	**छत्तीसगढ़**	• 2014-17 में, ₹93.01 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 217 पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं को 40 एलपीसीडी सेवा स्तर पर बनाया गया। • 2012-17 के दौरान, एएपी तीन से लेकर आठ माह के विलंब से मंत्रालय को 2012-17 के दौरान प्रस्तुत किए गए।
6	**गोवा**	• एसएलएसएससी के बैठकों के न होने के कारण, एसएलएसएससी द्वारा एएपी अनुमोदित नहीं किए गए। • एएपी में, विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में पेय जल के प्रावधान की कोई योजना नहीं पायी गयी जबकि 52 आंगनवाड़ियों और 1568 विद्यालयों में से पाँच में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं था।
7	**हिमाचल प्रदेश**	• एएपी दो से पाँच माह के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। • एएपी में शामिल करने के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए गए।
8	**झारखंड़**	• 2012-17 के दौरान, एएपी निम्नतम 40 एलपीसीडी के सेवा स्तर के साथ तैयार किए गए।

		• एएपी में, पूरी तरह से कवर की जा चुकी बस्तियों (100 प्रतिशत आबादी) के ऊपर आंशिक रूप से कवर आबादियों (0-25 प्रतिशत आबादी) और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी।
9	**कर्नाटक**	• 2012-17 के दौरान, एएपी को पाँच से दस माह के विलंब से अनुमोदित किया गया। • जिन मूल सूचनाओं के आधार पर एएपी तैयार किये गये थे, उन्हें दर्ज नहीं किया गया। • विद्यालयों और आंगनवाडियों को जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा कवरेज की योजनाएं एएपी में शामिल नहीं थी।
10	**केरल**	• राज्य एएपी को बिना जमीनी स्तर पर योजना बनाए प्रभागों से प्राप्त ब्यौरों के आधार पर बनाया गया।
11	**मध्य प्रदेश**	• योजना में अपेक्षित पहलू अर्थात् लक्ष्य, बस्तियों का कवरेज, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग आदि सम्मिलित नहीं किए गए।
12	**महाराष्ट्र**	• 2012-17 के दौरान, एएपी तीन से छः माह के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये। • 2012-17 के दौरान शुरू हुई कोई भी योजना 55 एलपीसीडी पर जल आपूर्ति के लिए तैयार नहीं की गयी।
13	**मणिपुर**	• 2012-16 के दौरान, एएपी 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार की गयी। • 0-25 प्रतिशत और 25-50 प्रतिशत आबादी कवरेज वाली बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।
14	**मेघालय**	• जिला एवं गाँवों से किसी इनपुट एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त किये बगैर ही एएपी तैयार किये गये थे। • 2016-17 तक सभी योजनाओं को 40 एलपीसीडी पर तैयार किया गया।
15	**मिजोरम**	• गाँवों/जिला स्तर से कोई इनपुट प्राप्त किये बगैर, एएपी विभाग के पास मौजूद बस्तियों में जल आपूर्ति के कवरेज से संबंधित डाटा के आधार पर बनाए गए थे। • 2015-16 तक, एएपी 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार की गयी।
16	**नागालैण्ड**	• 2012-17 के दौरान, एएपी को 55 एलपीसीडी पर पेय जल आपूर्ति प्रदान करने के स्थान पर 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार किया गया था। • एएपी में आंगनवाडियों को जल आपूर्ति का प्रावधान शामिल नहीं था।
17	**राजस्थान**	• सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सुझाव/प्रस्तावों के बगैर ही एएपी तैयार किये गये थे। • योजनाओं/परियोजनाओं को 55 एलपीसीडी के बजाय 40 एलपीसीडी के आधार पर बनाया गया था।
18	**सिक्किम**	• योजना में कवर की गई 0 प्रतिशत, 0-25 प्रतिशत और 25-50 प्रतिशत आबादी के कवरेज हेतु प्राथमिकता दिए जाने के संबंध, एएपी में इनके कवरेज हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। • विभाग ने एएपी में 40 एलपीसीडी का लक्ष्य रखा था। • मंत्रालय को दो माह के विलंब से एएपी प्रस्तुत किये गये थे।

19	**तमिलनाडु**	• 40 एलपीसीडी या उससे कम का सेवा स्तर रखते हुए एएपी तैयार किये गये थे।
20	**तेलंगाना**	• 0-25 प्रतिशत कवर की गई आबादी वाली बस्तियों, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय बहुल बस्तियों को प्राथमिकता देने का कोई संकेत नहीं था।
21	**त्रिपुरा**	• बॉटम-अप दृष्टिकोण अर्थात् एएपी में पीआरआई की भागीदारी का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
22	**उत्तर प्रदेश**	• चयनित जिलों में, एएपी को बॉटम-अप दृष्टिकोण से तैयार नहीं किया गया था। • 2015-17 के दौरान, एएपी एसएलएसएससी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
23	**उत्तराखंड**	• एएपी 40 एलपीसीडी के आधार के साथ तैयार किया गया था।

अनुबंध-2.2
2012-17 के दौरान हुई एसएलएसएससी की बैठकें
(पैरा 2.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2012-17 के दौरान की जाने वाली अपेक्षित बैठकों की संख्या	निम्न के दौरान हुई बैठकों की संख्या						2012-17 के दौरान प्रतिशतता कमी
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल	
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	2	1	1	1	07	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	2	1	1	1	0	05	50
3.	असम	10	2	2	2	1	0	07	30
4.	छत्तीसगढ़	10	1	1	2	1	1	06	40
5.	गुजरात	10	2	1	1	0	1	05	50
6.	जम्मू एवं कश्मीर	10	0	2	1	1	2	06	40
7.	केरल	10	2	1	1	1	0	05	50
8.	मध्य प्रदेश	10	1	2	1	1	2	07	30
9.	महाराष्ट्र	10	1	1	1	1	1	05	50
10.	मणिपुर	10	1	1	1	1	1	05	50
11.	मेघालय	10	1	0	1	0	2	04	60
12.	मिजोरम	10	1	1	1	1	1	05	50
13.	नागालैंड	10	1	1	1	1	0	04	60
14.	ओडिशा	10	1	2	2	1	1	07	30
15.	पंजाब	10	0	1	1	0	0	02	80
16.	सिक्किम	10	0	2	0	0	0	02	80
17.	तमिलनाडु	10	2	2	1	1	1	07	30
18.	तेलंगाना	06	-	-	1	1	1	05	50
19.	त्रिपुरा	10	1	1	1	1	1	05	50
20.	उत्तराखंड	10	1	2	2	1	1	07	30
	कुल	**196**	**22**	**26**	**23**	**16**	**17**	**106**	**46**

अनुबंध-2.3
डब्ल्यूएसएसओ के कार्य में कमियां
(पैरा 2.4.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1.	अरुणाचल प्रदेश	• प्रारंभ से ही, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम एण्ड ई) तथा हाईड्रो-जियोलॉजिस्ट हेतु सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की गई थी। • डब्ल्यूएसएसओ ने, 2012-17 के दौरान, मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण अध्ययन तथा अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) गतिविधियां नहीं की थी।
2.	असम	• डब्ल्यूएसएसओ ने क्षमता निर्माण की योजना तैयार नहीं की थी। जल में सुधार हेतु, राज्य विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार नीति विकसित नहीं की गई थी। • मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण अध्ययन नहीं किया गया।
3.	बिहार	• डब्ल्यूएसएसओ में स्टाफ अर्थात निदेशक, सलाहकार (हाईड्रो जियोलॉजिस्ट), लेखाकार तथा आंकड़ा प्रविष्टि संचालक की नियुक्ति नहीं की गई थी। • डब्ल्यूएसएसओ ने अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) गतिविधियां नहीं की थी।
4.	छत्तीसगढ़	• मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण अध्ययनों, आरडब्ल्यूएस क्षेत्र के सॉफ्टवेयर पहलुओं, जल सुरक्षा योजना को तैयार करने में जीपी को सहायता का कार्य नहीं किया गया था।
5.	गोवा	• डब्ल्यूएसएसओ ने किसी मूल्यांकन अध्ययन तथा प्रभाव निर्धारण अध्ययन के साथ-साथ आरएण्डडी से संबंधित गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी।
6.	हिमाचल प्रदेश	• संगठन ने निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्टाफ की कमी का सामना किया।
7.	कर्नाटक	• संगठन जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने में शामिल नहीं हुआ था तथा उसने मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव निर्धारण, आईईसी तथा एचआरडी मॉड्यूलों का विकास, अनुसंधान एवं विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग आदि नहीं की थी।
8.	मणिपुर	• संगठन ने कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रभाव निर्धारण नहीं किया था।
9.	मेघालय	• सलाहकार (एचआरडी), सलाहकार (आईईसी), सलाहकार (एमएण्डई), सलाहकार (हाईड्रोजियोलॉजिस्ट), सलाहकार (डब्ल्यूक्यूएमएस) तथा सलाहकार (स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर) नियुक्त नहीं किए गए थे।
10.	नागालैंड	• संगठन ने न तो राज्य में जल सुरक्षा योजना तैयार करने के उत्तरदायित्व को पूरा किया था और न ही मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव निर्धारण तथा आर एण्ड डी गतिविधियां की थी।
11.	राजस्थान	• संगठन स्वायतता की स्थिति प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि संगठन सीई (ग्रामीण) के अधीन कार्य कर रहा था। डब्ल्यूएसएसओ में प्रतिष्ठित सीएएसओ,[1] शैक्षणिक संस्थानों से सदस्यों, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के प्रतिनिधि को नामांकित नहीं किया गया था।

[1] नागरिक समाज संगठन

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
		• डब्ल्यूएसएसओ की आम सभा का वर्ष में कम से कम दो बैठकों के मानदण्ड के प्रति 2012-17 के दौरान आयोजन नहीं किया गया था। • अक्तूबर 2016 से डब्ल्यूएसएसओ निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी परंतु अतिरिक्त कार्यभार पीएचईडी में कार्य कर रहे अधीक्षक अभियंता (एसई) को सौंपा गया था।
12.	तेलंगाना	• जल एवं स्वच्छता में सुधार हेतु शिक्षा एवं संचार नीति तथा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर नई प्रौद्योगिकियों एवं अनुसंधान, आईईसी नीतियों आदि पर राज्य विशिष्ट सूचना सहित जल सुरक्षा योजना को तैयार करने में डब्ल्यूएसएसओं की भागीदारी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।
13.	उत्तर प्रदेश	• इस क्षेत्र में कार्य कर रहे शैक्षणिक संस्थानों तथा तकनीकी संस्थानों के सदस्यों, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी आदि के प्रतिनिधियों को संगठन में शामिल नहीं किया गया था।

अनुबंध- 2.4
डीडब्ल्यूएसएम के कार्य में कमियाँ
(पैरा 2.4.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	• सभी जांच किए गए जिलों में, 2012-17 के दौरान, बैठक नहीं की गई थीं।
2.	अरूणाचल प्रदेश	• डीडब्ल्यूएसएम के स्थान पर, संबंधित जिलों के उपयुक्तों की अध्यक्षता वाले डीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया था जिनमें जल आपूर्ति योजनाओं के निरूपण, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग में पीआरआई तथा सामुदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था।
3.	असम	• डीडब्ल्यूएसएम, 2012-17 के दौरान, गैर-क्रियात्मक रहा। डीडब्ल्यूएसएम के सभी कार्यों को संबंधित कार्यकारी अभियंताओं द्वारा प्रभार-वार किया गया था।
4.	छत्तीसगढ़	• सभी चयनित जिलों में, जिलाधीश ने डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता की। एमपी, एमएलए, जेडपी की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सामाजिक कल्याण, जिलाधिकारी, डब्ल्यूआरडी एवं कृषि के जिला अधिकारी दो जिलों[2] में मिशन/समिति के सदस्य नहीं थे। शेष पांच जिलों ने डीडब्ल्यूएसएम से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।
5.	गोवा	• 2012-17 के दौरान बैठकें नहीं की गई थीं। • डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता जिलाधीश द्वारा की गई थी। मिशन में एमपी/एमएलए के साथ-साथ एनजीओं का प्रतिनिधित्व नहीं था।
6.	गुजरात	• डीडब्ल्यूएसएम के स्थान पर, संबंधित जिलों के जिलाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला जल स्वच्छता समितियों (डीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया था। तथापि, निर्वाचित जन प्रतिनिधि समिति से जुड़े नहीं थे।
7.	हिमाचल प्रदेश	• मिशन में, 2012-17 के दौरान, पर्याप्त स्टाफ नहीं था क्योंकि प्रत्येक डीडब्ल्यूएसएम हेतु, छः सलाहकारों की आवश्यकता के प्रति एक सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। • बैठकों में लिए गए निर्णयों पर, अगली बैठकों में अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।
8.	जम्मू एवं कश्मीर	• डीडब्ल्यूएसएम, पीआरई संरचना की गैर मौजूदगी के कारण कार्यशील नहीं थे।
9.	झारखण्ड	• अपेक्षित 40 बैठकों के प्रति, 2012-17 के दौरान, दो जिलों में चार बैठकें की गई थी। शेष चार चयनित जिलों[3] में बैठकें नहीं की गई थीं। • डीडब्ल्यूएसएम द्वारा एनजीओ को सदस्य के रूप में सहयोजित नहीं किया गया था।
10.	कर्नाटक	• 2012-17 के दौरान, चार[4] चयनित जिलों में बैठकें नहीं की गई थी। अन्य चार जिलों में, की गई बैठकों की संख्या एक से चार के बीच थी। • चित्रदुर्ग तथा तूमाकूरू के सिवाय किसी भी चयनित जिले ने एनजीओ को डीडब्ल्यूएसएम के सदस्य के रूप में सहयोजित नहीं किया। डीडब्ल्यूएसएम, जब

[2] रायपुर तथा सूरजपुर

[3] गढ़वा, हजारीबाग, पलामू तथा साहिबगंज

[4] बगलकोट, चित्रदुर्ग, कोप्पल तथा माण्डवा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
		कभी भी गठित किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों के निरूपण तथा अनुमोदन में शामिल नहीं थे। • जिला चित्रादुर्ग में, जेडपी के अध्यक्ष के स्थान पर जेडपी के सीईओ को डीडब्ल्यूएसएम का सभापति बनाया गया था।
11.	महाराष्ट्र	• पांच[5] जिलों में, डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया। • किसी भी चयनित जिले में सांसदों, विधायकों को डीडब्ल्यूएसएम में शामिल नहीं किया गया था। • किसी भी जिले में एनजीओ के सदस्य को डीडब्ल्यूएसएम के सदस्य के रूप में सहयोजित नहीं किया गया था।
12.	मणिपुर	• निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान मिशन की बैठकों का कोई अभिलेख नहीं था। • इसमें कोई तकनीकी तथा व्यवसायिक व्यक्ति (सलाहकार, एसआरडी, आईईसी, एमएण्डई तथा हाईड्रोजियोलाजिस्ट) नहीं है।
13.	मेघालय	• डीडब्ल्यूएसएम की भूमिका स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) तक सीमित थी।
14.	मिजोरम	• डीडब्ल्यूएसएम के स्थान पर, चयनित जिलों में डीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया था तथा उनकी भूमिका स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) तक सीमित थी।
15.	ओडिशा	• आठ चयनित जिलों में से सात में 2012-17 के दौरान बैठकें नहीं की गई थी। • आठ सदस्यों की आवश्यकता के प्रति डीडब्ल्यूएसएम आठ चयनित जिलों में से छः में से दो से सात स्टाफ सदस्यों के साथ कार्य कर रहा था। आठ चयनित जिलों में से, पांच[6] में तकनीकी तथा व्यवसायिक कार्मिक नियुक्त नहीं थे।
16.	पंजाब	• 2012-17 के दौरान, बैठकें आयोजित नहीं की गई थी।
17.	तेलंगाना	• किसी भी चयनित जिले में, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा की गई बैठकों के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
18.	त्रिपुरा	• जिला वेस्ट में, 2012-17 के दौरान, केवल एक बैठक हुई थी।
19.	उत्तर प्रदेश	• डीडब्ल्यूएसएम में, विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों के निर्धारित छः सलाहकारों के प्रति तीन सलाहकार थे। • मिशन की आम सभा ने, 2012-17 के दौरान, केवल छः बार बैठक की थी।

[5] अहमदनगर, नागपुर, संगली, थाणे तथा नासिक

[6] कटक, गंजाम, जाजपुर, मयूरभंज, नबरंगपुर

अनुबंध- 2.5
वीडब्ल्यूयूएससी के कार्य में कमियाँ
(पैरा 2.4.8 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1.	अरूणाचल प्रदेश	• यद्यपि वीडब्ल्यूएससी सभी चयनित जीपी में गठित की गई थी फिर भी योजनाओं/परियोजनाओं में वीडब्ल्यूएसी को शामिल किए बिना जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूयूएससी) के स्तर पर तैयार किया जा रहा था। इसने दर्शाया कि ग्रामीण जल आपूर्ति की योजना तथा प्रबंधन में जीपी/ग्राम सामुदायों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं थी।
2.	असम	• वीडब्ल्यूएससी केवल स्वच्छता गतिविधियों में शामिल थी।
3.	छत्तीसगढ़	• 32 चयनित जीपी में से 12[7] में, वीडब्ल्यूएससी के गठन से संबंधित अभिलेख नहीं थे।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	• यद्यपि वीडब्ल्यूएससी दिसंबर 2013 में गठित की गईं थी फिर भी वह पीआरआई के विखंडन के कारण क्रियात्मक नहीं थीं।
5.	झारखण्ड	• वीडब्लयूएससी, चयनित जिलों में, योजनाओं के नियोजन, डिजाईनिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन में शामिल नहीं थीं।
6.	कर्नाटक	• वीडब्ल्यूएससी, कार्यक्रम के अंतर्गत, गतिविधियों के निरूपण की प्रक्रिया में शामिल नहीं थीं।
7.	मध्य प्रदेश	• 44 जीपी में से 36 में, वीडब्ल्यूएससी ने सामुदायिक भागीदारी तथा ग्राम गतिविधियों के सभी चरणों पर निर्णय लेने को सुनिश्चित नहीं किया था।
8.	महाराष्ट्र	• तीन जीपी (बीड: एक जीपी; नासिक : 2 जीपी) में, वीडब्ल्यूएससी का इस आधार पर गठन नहीं किया गया था कि वह वीडब्ल्यूएससी के गठन से अवगत नहीं थे।
9.	मिजोरम	• वीडब्ल्यूएससी मुख्यत: योजनाओं के परिचालन एवं अनुरक्षण में कार्यरत थी परंतु वह योजनाओं के नियोजन, डिजाईनिंग तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल नहीं थी।
10.	तेलंगाना	• जिला खम्माम तथा महबूबनगर में, ग्राम के एससी, एसटी तथा कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व को किसी भी चयनित जीपी में सुनिश्चित नहीं किया गया था।
11.	त्रिपुरा	• यघपि राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था फिर भी आठ जीपी में भौतिक जांच/सत्यापन में उनकी गैर-मौजूदगी को दर्शाया।
12.	उत्तर प्रदेश	• वीडब्ल्यूएससी के सदस्य जल-आपूर्ति योजनाओं के नियोजन में शामिल नहीं थे।

[7] दत्तरंगा, बोरियाकला, पारगांव, खिलोरा, मनिकचौरी, पिपलावंड, भानपुरी, कोलियापुरी, लूइकोना, चराईडंड तथा मालदा

अनुबंध-3.1
निधियों के राज्य अंश को जारी न करना (2015-17)
(पैरा 3.2.3 के संदर्भ में)

संघटक	केन्द्र राज्य निधि अंश	2015-16	2016-17
		राज्य जिन्होंने अपना अंश जारी नहीं किया	राज्य जिन्होंने अपना अंश जारी नहीं किया
मरूस्थल विकास कार्यक्रम	60:40 (90:10)	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर
प्राकृतिक आपदा	60:40 (90:10)	असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु	अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और पश्चिम बंगाल
निर्धारित जल गुणवत्ता	50:50 (90:10)	असम, बिहार, झारखंड, पंजाब और राजस्थान	कर्नाटक, महाराष्ट्र
सहायक गतिविधियां	60:40 (90:10)	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना	अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और सिक्किम
जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी	60:40 (90:10)	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखंड

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

नोट: कोष्ठक में डाटा उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के संबंध में केन्द्र-राज्य निधि विभाजन मापदण्ड को दर्शाते हैं।

अनुबंध-3.2

केन्द्रीय तथा राज्य के अंश के निर्गम, उपयोग तथा बकाया शेष की राज्य-वार स्थिति (2012-17)

(पैरा 3.2.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश						राज्य का अंश			कुल (केन्द्रीय + राज्य)			
		प्रारंभिक शेष	निर्गम	विविध प्राप्ति (ब्याज आदि)	कुल	व्यय	अंत शेष	निर्गम	व्यय	बाकी शेष (अनुदान-व्यय)	उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13 (7+10)	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	301.30	1,868.49	0.00	2,169.79	2,110.28	59.51	2,763.29	2,671.07	92.22	4,933.08	4,781.35	151.73	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.46	746.61	7.38	763.45	751.06	12.40	67.51	67.46	0.05	830.96	818.52	12.45	1
3.	असम	127.51	2,401.67	19.29	2,548.47	2,238.89	309.59	773.51	703.56	69.95	3,321.98	2,942.45	379.54	11
4.	बिहार	285.65	1,548.89	1.52	1,836.06	1,751.09	84.97	1,631.78	1,314.83	316.95	3,467.84	3,065.92	401.92	12
5.	छत्तीसगढ़	80.82	579.69	4.96	665.47	638.61	26.86	642.34	607.49	34.85	1,307.81	1,246.10	61.71	5
6.	गोवा	5.91	2.88	0.00	8.79	5.57	3.23	12.27	12.27	0.00	21.06	17.84	3.23	15
7.	गुजरात	327.59	2,155.53	0.00	2,483.12	2,457.26	25.84	3,406.55	2,652.94	753.61	5,889.67	5,110.20	779.45	13
8.	हरियाणा	43.98	1,055.09	3.91	1,102.98	1,072.67	30.30	2,229.80	1,919.06	310.74	3,332.78	2,991.73	341.04	10
9.	हिमाचल प्रदेश	61.94	529.29	-27.66	563.57	533.49	30.09	581.76	264.83	316.93	1,145.33	798.32	347.02	30
10.	जम्मू एवं कश्मीर	147.04	1,780.99	17.86	1,945.89	1,888.01	57.87	266.88	259.92	6.96	2,212.77	2,147.93	64.83	3
11.	झारखंड	74.31	935.72	51.90	1,061.93	981.30	80.62	1,458.90	1,185.41	273.49	2,520.83	2,166.71	354.11	14

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश						राज्य का अंश			कुल (केन्द्रीय + राज्य)			
		प्रारंभिक शेष	निर्गम	विविध प्राप्ति (ब्याज आदि)	कुल	व्यय	अंत शेष	निर्गम	व्यय	बाकी शेष (अनुदान-व्यय)	उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
12.	कर्नाटक	213.14	2,952.24	61.69	3,227.07	3,133.97	93.10	7,265.07	6,335.52	929.55	10,492.14	9,469.49	1,022.65	10
13.	केरल	16.08	708.45	22.43	746.96	729.24	17.72	1,411.13	1,300.19	110.94	2,158.09	2,029.43	128.66	6
14.	मध्य प्रदेश	32.54	1,880.68	30.59	1,943.81	1,907.82	35.92	1,984.46	1,779.93	204.53	3,928.27	3,687.75	240.45	6
15.	महाराष्ट्र	320.10	3,020.31	0.76	3,341.17	3,168.35	172.82	3,102.15	2,711.80	390.35	6,443.32	5,880.15	563.17	9
16.	मणिपुर	17.72	278.58	0.00	296.30	267.27	29.61	147.52	132.45	15.07	443.82	399.72	44.68	10
17.	मेघालय	36.83	342.17	1.88	380.88	377.48	3.39	513.57	445.87	67.70	894.45	823.35	71.09	8
18.	मिजोरम	6.80	169.12	0.55	176.47	177.19	0.14	42.59	34.78	7.81	219.06	211.97	7.95	4
19.	नागालैंड	1.10	348.08	1.21	350.39	349.49	0.89	28.42	28.54	-0.12	378.81	378.03	0.77	0
20.	ओडिशा	84.34	996.47	48.76	1,129.57	1,076.14	53.47	1,079.93	992.93	87.00	2,209.50	2,069.07	140.47	6
21.	पंजाब	30	484.28	0.00	487.28	460.63	26.64	974.57	743.32	231.25	1,461.85	1,203.95	257.89	18
22.	राजस्थान	397.00	5,648.16	96.79	6,141.95	5,527.04	555.31	3,700.81	2,553.76	1,147.05	9,842.76	8,080.80	1,702.36	17
23.	सिक्किम	49.88	122.09	4.82	176.79	169.53	4.75	9.11	9.10	0.01	185.90	178.63	4.76	3
24.	तमिलनाडु	240.27	1,696.77	16.11	1,953.15	1,938.79	14.35	2,590.35	2,345.94	244.41	4,543.50	4,284.73	258.76	6
25.	तेलंगाना	0.00	443.04	0.24	443.28	407.56	35.71	1,213.52	1,185.92	27.60	1,656.80	1,593.48	63.31	4
26.	त्रिपुरा	4.03	334.24	5.32	343.59	337.06	6.54	95.66	96.42	-0.76	439.25	433.48	5.78	1
27.	उत्तर प्रदेश	159.90	3,970.46	62.91	4,193.27	3,935.45	257.82	4,222.09	3,508.22	713.87	8,415.36	7,443.67	971.69	12
28.	उत्तराखंड	239.27	421.62	16.16	677.05	624.37	52.66	386.45	452.07	-65.62	1,063.50	1,076.44	-12.96	-1

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश						राज्य का अंश			कुल (केन्द्रीय + राज्य)			
		प्रारंभिक शेष	निर्गम	विविध प्राप्ति (ब्याज आदि)	कुल	व्यय	अंत शेष	निर्गम	व्यय	बाकी शेष (अनुदान-व्यय)	उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
29.	पश्चिम बंगाल	417.10	2,076.28	35.28	2,528.66	2,507.87	20.78	3,659.76	3,326.20	333.56	6,188.42	5,834.07	354.34	6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	2.06	0.05	2.11	1.07	1.05	3.40	2.30	1.10	5.51	3.37	2.15	39
31.	पुदुचेरी	0.00	1.23	0.08	1.31	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	1.31	0	1.27	97
	कुल	**3,704.61**	**39,501.18**	**484.79**	**43,690.58**	**41,524.55**	**2,105.22**	**46,265.15**	**39,644.10**	**6,621.05**	**89,955.73**	**81,168.65**	**8,726.27**	**10**

अनुबंध-3.3

(कवरेज/डब्ल्यूक्यू/स्थायित्व/ओएण्डएम के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय स्थिति)

(पैरा 3.2.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)							उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय					राज्य	कुल	
					कवरेज	जल गुणवत्ता	स्थायित्व	संचालन एवं अनुरक्षण	कुल			
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10 (6 से 9)	11	12 (10+11)	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,858.88	2,762.38	4,621.26	1,485.30	151.90	16.56	186.18	1,839.94	2,662.73	4,502.67	97.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	642.48	67.51	709.99	497.82	13.41	24.22	95.04	630.49	67.46	697.95	98.30
3.	असम	2,127.49	773.51	2901	804.42	651.03	188.6	277.79	1,921.84	696.97	2,618.81	90.27
4.	बिहार	1,493.66	1,574.87	3,068.53	903.51	392.10	49.76	68.73	1,414.10	1,215.99	2,630.09	85.71
5.	छत्तीसगढ़	638.27	642.34	1,280.61	436.55	34.79	71.86	69.02	612.22	604.59	1,216.81	95.02
6.	गोवा	7.03	12.27	19.30	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	12.27	17.84	92.44
7.	गुजरात	1,682.50	3,406.55	5,089.05	1,254.72	100.56	88.98	225.66	1,669.92	2,642.02	4,311.94	84.73
8.	हरियाणा	572.06	2,229.80	2,801.86	471.99	1.84	44.82	45.14	563.79	1,917.20	2,480.99	88.55
9.	हिमाचल प्रदेश	509.05	581.76	1,090.81	297.38	44.05	49.55	65.74	456.72	264.52	721.24	66.12
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1,761.61	266.88	2,028.49	1,371.64	36.18	103.99	225.74	1,737.55	259.92	1,997.47	98.47

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)							उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय					राज्य	कुल	
					कवरेज	जल गुणवत्ता	स्थायित्व	संचालन एवं अनुरक्षण	कुल			
11.	झारखंड	911.37	1,458.90	2,370.27	589.93	86.28	78.51	91.84	846.56	1,157.90	2,004.46	84.57
12.	कर्नाटक	2,199.29	7,265.07	9,464.36	1,320.03	330.45	215.06	288.31	2,153.85	6,328.15	8,482.00	89.62
13.	केरल	685.85	1,408.74	2,094.59	539.56	32.63	23.54	102.52	698.25	1,297.78	1,996.03	95.29
14.	मध्य प्रदेश	1,815.34	1,956.22	3,771.56	1,269.68	80.87	150.20	292.98	1,793.73	1,742.86	3,536.59	93.77
15.	महाराष्ट्र	3,018.01	3,102.15	6,120.16	2,054.41	342.13	218.28	277.70	2,892.52	2,711.80	5,604.32	91.57
16.	मणिपुर	284.24	147.52	431.76	186.58	2.89	22.44	44.78	256.69	132.45	389.14	90.13
17.	मेघालय	351.86	513.57	865.43	257.50	5.12	38.13	49.35	350.10	445.67	795.77	91.95
18.	मिजोरम	165.23	42.59	207.82	123.93	0.00	19.10	22.81	165.84	34.62	200.46	96.46
19.	नागालैंड	320.25	28.42	348.67	197.49	49.21	23.99	48.69	319.38	28.42	347.80	99.75
20.	ओडिशा	1,040.66	1,079.93	2,120.59	694.90	84.24	122.00	105.67	1,006.81	992.93	1,999.74	94.30
21.	पंजाब	456.18	974.57	1,430.75	305.73	21.49	42.67	61.17	431.06	743.32	1,174.38	82.08
22.	राजस्थान	3,222.90	3,463.34	6,686.24	2,115.07	405.85	285.19	402.45	3,208.56	2,367.10	5,575.66	83.39
23.	सिक्किम	128.00	9.11	137.11	107.33	1.49	9.99	5.04	123.85	9.10	132.95	96.97
24.	तमिलनाडु	1,750.89	2,581.42	4,332.31	1,289.21	40.19	161.29	259.65	1,750.34	2,332.98	4,083.32	94.25
25.	तेलंगाना	393.96	1,208.26	1,602.22	320.50	28.12	5.28	15.59	369.49	1,173.73	1,543.22	96.32
26.	त्रिपुरा	321.64	95.58	417.22	221.81	43.64	3.46	46.90	315.81	96.14	411.95	98.74
27.	उत्तर प्रदेश	3,393.01	3,694.66	7,087.67	2,084.87	328.01	249.59	534.07	3,196.54	3,144.98	6,341.52	89.47

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)							उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय					राज्य	कुल	
					कवरेज	जल गुणवत्ता	स्थायित्व	संचालन एवं अनुरक्षण	कुल			
28.	उत्तराखंड	576.82	386.45	963.27	409.31	10.99	37.57	88.31	546.18	451.97	998.15	103.62
29.	पश्चिम बंगाल	1,771.27	3,352.18	5,123.45	1,224.68	212.48	55.06	274.06	1,766.28	3,018.54	4,784.82	93.39
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1.84	3.40	5.24	0.24	0.53	0.11	0.00	0.88	2.16	3.04	58.02
31.	पुदुचेरी	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**34,102.80**	**45,089.95**	**79,192.75**	**22,841.66**	**3,532.47**	**2,399.8**	**4,270.93**	**33,044.86**	**38,556.27**	**71,601.13**	**90.41**

अनुबंध-3.4
(सहायक निधि के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय स्थिति)
(पैरा 3.2.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.11	5.08	65.19	58.92	2.34	61.26	93.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	33.12	0.00	33.12	32.69	0.00	32.69	98.70
3.	असम	96.65	0.00	96.65	95.12	0.00	95.12	98.42
4.	बिहार	49.08	0.00	49.08	46.56	0.00	46.56	94.87
5.	छत्तीसगढ़	17.37	3.30	20.67	17.14	1.71	18.85	91.19
6.	गोवा	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	95.52	8.21	103.73	90.21	6.71	96.92	93.43
8.	हरियाणा	17.77	2.39	20.16	16.66	1.32	17.98	89.19
9.	हिमाचल प्रदेश	22.91	0.23	23.14	22.71	0.19	22.90	98.96
10.	जम्मू एवं कश्मीर	48.04	0.00	48.04	21.47	0.00	21.47	44.69
11.	झारखंड	32.45	7.11	39.56	31.66	4.65	36.31	91.78
12.	कर्नाटक	76.00	14.80	90.80	70.24	7.37	77.61	85.47
13.	केरल	19.45	0.00	19.45	19.33	0.00	19.33	99.38
14.	मध्य प्रदेश	65.01	14.67	79.68	57.22	6.83	64.05	80.38
15.	महाराष्ट्र	165.07	0.00	165.07	149.20	0.00	149.20	90.39
16.	मणिपुर	8.65	0.00	8.65	8.64	0.00	8.64	99.88
17.	मेघालय	9.38	0.11	9.49	9.32	0.11	9.43	99.37
18.	मिजोरम	7.17	0.10	7.27	7.32	0.10	7.42	102.06

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
19.	नागालैंड	11.12	0.07	11.19	11.37	0.07	11.44	102.23
20.	ओडिशा	37.31	0.00	37.31	33.04	0.00	33.04	88.56
21.	पंजाब	15.26	0.00	15.26	14.92	0.00	14.92	97.77
22.	राजस्थान	118.39	5.00	123.39	84.38	0.00	84.38	68.38
23.	सिक्किम	2.67	0.00	2.67	2.64	0.00	2.64	98.88
24.	तमिलनाडु	75.73	5.82	81.55	73.52	5.57	79.09	96.98
25.	तेलंगाना	22.22	3.25	25.47	17.11	3.23	20.34	79.86
26.	त्रिपुरा	14.94	0.36	15.30	14.70	0.14	14.84	96.99
27.	उत्तर प्रदेश	148.56	58.16	206.72	148.15	22.57	170.72	82.59
28.	उत्तराखंड	17.52	0.10	17.62	16.34	0.10	16.44	93.30
29.	पश्चिम बंगाल	88.11	13.12	101.23	88.10	12.62	100.72	99.50
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.21	0.77	0.98	0.15	0.14	0.29	29.59
31.	पुदुचेरी	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**1,377.43**	**142.65**	**1,520.08**	**1,258.83**	**75.77**	**1,334.6**	**87.80**

अनुबंध-3.5

(जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय स्थिति)

(पैरा 3.2.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष +निर्गम+ब्याज)	राज्य का निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.30	5.25	57.55	51.92	5.21	57.13	99.27
2.	अरूणाचल प्रदेश	17.23	0.00	17.23	17.21	0.00	17.21	99.88
3.	असम	62.73	0.00	62.73	60.99	0.00	60.99	97.23
4.	बिहार	25.94	0.00	25.94	25.01	0.00	25.01	96.41
5.	छत्तीसगढ़	9.79	1.55	11.34	9.26	1.19	10.45	92.15
6.	गोवा	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	31.17	4.65	35.82	29.86	4.22	34.08	95.14
8.	हरियाणा	9.96	1.67	11.63	9.38	0.54	9.92	85.30
9.	हिमाचल प्रदेश	11.18	0.14	11.32	10.55	0.12	10.67	94.26
10.	जम्मू एवं कश्मीर	35.30	0.00	35.3	31.63	0.00	31.63	89.60
11.	झारखंड	18.96	1.33	20.29	17.85	0.90	18.75	92.41
12.	कर्नाटक	45.47	5.34	50.81	37.20	0.00	37.20	73.21
13.	केरल	9.26	0.00	9.26	9.26	0.00	9.26	100.00
14.	मध्य प्रदेश	37.76	10.84	48.60	34.32	5.25	39.57	81.42
15.	महाराष्ट्र	86.76	0.00	86.76	85.02	0.00	85.02	97.99
16.	मणिपुर	2.18	0.00	2.18	1.93	0.00	1.93	88.53
17.	मेघालय	4.62	0.09	4.71	3.06	0.09	3.15	66.88

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष +निर्गम+ब्याज)	राज्य का निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
18.	मिजोरम	4.04	0.06	4.10	4.03	0.06	4.09	99.76
19.	नागालैंड	5.06	0.04	5.10	5.06	0.04	5.10	100.00
20.	ओडिशा	18.55	0.00	18.55	16.97	0.00	16.97	91.48
21.	पंजाब	15.51	0.00	15.51	14.38	0.00	14.38	92.71
22.	राजस्थान	32.08	0.95	33.03	25.65	0.34	25.99	78.69
23.	सिक्किम	1.73	0.00	1.73	1.63	0.00	1.63	94.22
24.	तमिलनाडु	42.33	2.40	44.73	39.30	2.09	41.39	92.53
25.	तेलंगाना	14.47	3.71	18.18	14.47	3.71	18.18	100.00
26.	त्रिपुरा	5.46	0.07	5.53	5.16	0.07	5.23	94.58
27.	उत्तर प्रदेश	78.29	19.04	97.33	72.05	16.20	88.25	90.67
28.	उत्तराखंड	11.25	0.00	11.25	9.16	0.00	9.16	81.42
29.	पश्चिम बंगाल	49.44	7.87	57.31	49.44	7.87	57.31	100.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.09	0.00	0.09	0.05	0.00	0.05	55.56
31.	पुदुचेरी	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	**कुल**	**739.19**	**65.00**	**804.19**	**691.80**	**47.90**	**739.70**	**91.98**

अनुबंध- 3.6

निर्धारित जल गुणवत्ता के अंतर्गत राज्य-वार निर्गम तथा व्यय (2012-2017)

(पैरा 3.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय				राज्य				कुल (केन्द्रीय तथा राज्य)		
		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधियन (रसायन+बैक्टेरियल)		
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम पर व्यय की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.13	0.78	0.00	0.00	0.91	0.78	0.00	0.00	3.04	1.56	51.32
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	46.08	40.50	2.56	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.64	42.99	88.38
4.	बिहार	80.95	78.46	13.82	13.37	33.00	31.92	4.32	4.18	132.09	127.93	96.85
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1.52	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.14	75.00
8.	हरियाणा	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय				राज्य				कुल (केन्द्रीय तथा राज्य)		
		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधियन (रसायन+बैक्टेरियल)		
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम पर व्यय की प्रतिशतता
12.	कर्नाटक	135.93	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.93	117.31	86.30
13.	केरल	2.39	2.40	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00	4.80	4.81	100.21
14.	मध्य प्रदेश	22.53	22.53	0.00	0.00	28.23	24.99	0.00	0.00	50.76	47.52	93.62
15.	महाराष्ट्र	38.42	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.42	23.55	61.30
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	100.00
20.	ओडिशा	2.78	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.57	20.50
21.	पंजाब	0.30	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.25	83.33
22.	राजस्थान	104.78	78.07	0.00	0.00	20.58	6.62	0.00	0.00	125.36	84.69	67.56
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.24	0.23	6.69	6.06	0.36	0.22	8.57	5.08	15.86	11.59	73.08
25.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	1.38	1.38	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	1.46	1.46	100.00
27.	उत्तर प्रदेश	14.57	14.56	282.41	291.58	0.00	0.00	503.88	279.16	800.86	585.30	73.08

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय				राज्य				कुल (केन्द्रीय तथा राज्य)		
		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधियन (रसायन+बैक्टेरियल)		
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम पर व्यय की प्रतिशतता
28.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	386.30	386.28	5.24	4.97	133.82	122.14	3.76	2.57	529.12	515.96	97.51
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**840.94**	**768.48**	**310.72**	**318.47**	**219.39**	**189.16**	**520.53**	**290.99**	**1891.58**	**1567.10**	**82.85**

अनुबंध-3.7

2012-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधि के निर्गम में विलम्ब

(पैरा 3.6.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विलम्ब से निर्गम	
		राशि (₹ करोड़ में)	अवधि
1.	आन्ध्र प्रदेश	655.27	12 से 249 दिन
2.	अरूणाचल प्रेदश	73.52	30 से 150 दिन
3.	असम	545.87	2 से 59 दिन
4.	बिहार	6.28	81 दिन
5.	झारखंड़	1,194.25	1 से 180 दिन
6.	कर्नाटक	695.44	1 से 127 दिन
7.	केरल	247.37	6 से 98 दिन
8.	महाराष्ट्र	1,151.01	365 दिन तक
9.	मेघालय	84.86	7 से 92 दिन
10.	मिजोरम	59.56	15 दिनों से अधिक एवं 365 दिनों तक
11.	नागालैंड	176.81	15 दिनों से अधिक एवं 365 दिनों तक
12.	ओडिशा	173.67	6 से 35 दिन
13.	राजस्थान	1,560.17	15 दिनों अधिक एवं 365 दिनों तक
14.	सिक्किम	61.38	15 दिनों से 180 दिनों तक
15.	तमिलनाडु	497.71	7 से 66 दिन
16.	तेलांगाना	227.21	26 से 104 दिन
17.	त्रिपुरा	62.10	4 से 262 दिन
18.	उत्तर प्रदेश	1,766.26	5 से 478 दिन
19.	उत्तराखंड	150.15	8 से 267 दिन
	कुल	**9,388.89**	

अनुबंध-3.8
अस्वीकार्य व्यय और धन के व्यपवर्तन के मामलें
(पैरा 3.6.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधि व्यपवर्तित की गयी	राशि (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	कृष्णा जिला में अकुमारू तथा 19 अन्य बस्तियों के लिए पाइप जल योजना के संवर्धन हेतू भूमि की खरीद	2.20
2.	असम	आवासीय भवनों की नवीकरण/मरम्मत, स्कवटिंग प्लेटों की खरीद ताकि उसे आपदाओं के समय सैनिटरी लैटरिन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, अतिथि आवास का निर्माण और अन्य राज्य योजनाएं, उत्पाद शुल्क का गलत भुगतान	30.13
3	बिहार	मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ पेयजल निश्चय अभियान के संगठन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाना, विश्व जल दिवस उत्सव, विधानसभा में बजट भाषण की प्रस्तुति के लिए ट्राली बैग की खरीद, प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक समझौतों के निष्पादन के कारण प्राथमिक निविदा एवं निधि का व्यपवर्तन	28.05
4	छत्तीसगढ़	वर्ष 2012-17 में 792 मामलों में स्वीकृत दरें अनुमानित लागत से अधिक थी इस कारण निविदा प्रीमियम का भुगतान किया गया	14.77
5	गोवा	सार्वजनिक कार्यों के विभागों को सेन्टेज प्रभार का भुगतान	0.71
6	हिमाचल प्रदेश	₹19.39 करोड़ अन्य बस्तियों (छः प्रभाग) को व्यपवर्तित गया था, ₹0.26 करोड़ मूल्य वृद्धि के रूप में भुगतान किया (एक प्रभाग), ₹0.41 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए (दो प्रभाग) और अनुमोदित लागत पर अतिरिक्त व्यय ₹15.82 करोड़ (सात प्रभाग)	35.88
7	जम्मू एवं कश्मीर	तीन प्रभागों में, एनआरडीडब्ल्यूपी निधि अन्य राज्य की योजनाओं को व्यपवर्तित किए गए थे।	1.47
8	झारखंड	मूल्य में वृद्धि	3.55
9	कर्नाटक	किराए का भुगतान, वाहनों को किराए पर लेना, कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग, टेलीफोन शुल्क, आदि	5.64
10	केरल	परिसर की दीवार के निर्माण, संपर्क सड़क मरम्मत, विद्युत शुल्क, आदि के लिए	4.50
11	मध्य प्रदेश	पाँच चयनित जिलों[1] में, प्रभागों के ईंधन, टंकण एवं छायाप्रति कार्यों पर व्यय किया गया। निविदा प्रीमियम	4.67
12	महाराष्ट्र	चयनित प्रभागों और जिला परिषद में धन को निविदा प्रीमियम में व्यपवर्तित कर दिया गया, सेन्टेज प्रभार एवं लागत वृद्धि	172.53
13.	मणिपुर	सेन्टेज प्रभार, कार्यालय भवन का विस्तार, सम्मेलन हॉल का निर्माण, प्रयोगशाला का निर्माण	7.22
14.	मेघालय	वाहनों की खरीद	0.31

[1] छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, नरसिंहपुर, रायसेन और विदिशा

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधि व्यपवर्तित की गयी	राशि (₹ करोड़ में)
15.	मिजोरम	अन्य योजना (शहरी जल आपूर्ति योजना रखरखाव) स्टेशनरी, फर्नीचर, वाहन आदि की खरीद	2.32
16.	नागालैंड	वाहन की खरीद	0.15
17.	ओडिशा	निगरानी, छायाप्रति व्यय, ईंधन की खरीद, आदि के लिए भुगतान	0.44
18.	पंजाब	अस्वीकार्य काम और व्यय की वस्तुओं अमान्य कार्य एवं वस्तुओं पर व्यय (कार्यालय भवन का रखरखाव, जेनसेट की खरीद इत्यादि)	2.36
19.	राजस्थान	निविदा प्रीमियम की भुगतान, कर्मचारी आवास का निर्माण	6.13
20	उत्तर प्रदेश	झांसी जिला के जल संस्थान के स्थायी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, ललीतपुर तथा ओराई	34.62
21.	उत्तराखंड	देहरादून में स्वजल पाठशाला एवं शौचालय संग्रहालय का निर्माण।	0.94
	कुल		**358.59**

अनुबंध - 4.1
अपूर्ण कार्य
(पैरा 4.2.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	• अनंतपुर जिले के 51 बस्तियों को कवर करने हेतु समग्र संरक्षित जल आपूर्ति योजना (सीपीडब्ल्यूएस) को नवंबर 2012 में शुरू किया गया जिसे नवंबर 2013 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसे पूरा कर लिया गया और सिंचाई विभाग के अनुमति न देने के कारण मार्च 2017 में कुंओं के निर्माण के बिना ही जिला परिषद को दे दिया गया। विभाग ने उत्तर दिया कि नवंबर 2016 तक किसी अन्य परियोजना से जल ग्रहण कर 39 अधिवासों को अस्थायी रूप से जल आपूर्ति उपलब्ध करवायी गई थी।	1	56 .00	46.77
		• तीन सीपीडब्ल्यूएस (जिला चित्तूर में 167 अधिवास; जिला गुंटूर में कुछ मंडलों के 12 गांवों के लिए और अचंता विधानसभा क्षेत्र में 130 अधिवासों में जल आपूर्ति का संवर्धन) सितंबर 2010 और नवंबर 2015 के बीच शुरू किये गए और उन्हें सितंबर 2011 और जून 2017 के बीच पूरा होना था, परन्तु जमीनी विवाद और स्रोत से पानी के नहीं निकल पाने के कारण अपूर्ण रहे।	3	51.00	34.60
		• दो सीपीडब्ल्यूएस (एक योजना टनुकु में 12 अधिवासों हेतु और दूसरा जिला प.गोदावरी के अत्तिली (एम) में 14 अधिवासों हेतु) अप्रैल 2011 और मई 2014 में शुरू किये गए और अप्रैल 2012 और जून 2015 के बीच पूरे होने थे, लेकिन रेलवे प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता के कारण अपूर्ण रहे।	2	29.00	19.10
		• सीपीडब्ल्यूएस योजना जिला पं. गोदावरी के कामावारापुकोटा (एम) के 11 अधिवासों को सेवा देने हेतु मार्च 2014 में शुरू की गई और फरवरी 2015 में पूरी करनी थी परन्तु बिजली कनेक्शन के अभाव के कारण इसे पूरा नहीं किया गया।	1	6.30	5.22
		• गंडीकोटा कुंड के साथ नियोजित जेसी नेगी रेड्डी पेय जलापूर्ति परियोजना जिसका विवरण पैरा 4.2.6 में दिया गया है अपूर्ण रही।	1	508.00	365.88

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
2.	अरूणाचल प्रदेश	• युड़पा मंडल में एक गहरे बोरवेल पर आधारित जलापूर्ति योजना को मार्च 2016 में पूरा किया गया बताया गया था। तथापि भौतिक जांच में पाया गया कि केवल 50 प्रतिशत कार्य ₹0.35 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया है।	1	0.51	0.35
3.	असम	• सिलचर-I और होजाई खंड में स्थिरता व गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के तीन कार्यों को जनवरी 2013 और अक्तूबर 2014 के बीच शुरू किया गया था और पूर्णता की निर्धारित तिथियाँ दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 के बीच थीं, परन्तु सड़क काटने की अनुमति नहीं होने के कारण ये अधूरे रहे।	3	36.28	19.06
		• सिलचर -I, सिलचर -II तथा होजाई मंड़ल में स्थिरता व गुणवत्ता प्रभावित अधिवासों के नौ कार्यों को मई 2013 व मई 2015 के बीच शुरू किया गया और उनकी समापन की निर्धारित तिथियाँ दिसंबर 2015 व फरवरी 2017 के बीच थीं, परन्तु सामग्री (डीआई पाइप) के अभाव के कारण ये अधूरे रह गये।	9	73.00	38.10
		• सिलचर -I, सिलचर -II, बोकाखट, गोलाघट, होजाई और नागाँव मंडल में स्थिरता व गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के 19 कार्यों को फरवरी 2011 और मार्च 2015 के बीच शुरू किया गया और निर्धारित तिथियों अप्रैल 2014 व फरवरी 2017 के बीच पूर्ण होने थे, परन्तु धन की कमी के कारण ये अंपूर्ण रहे।	19	187.92	107.04
		• होवराघाट मंडल में, गुणवत्ता प्रभावित निवासस्थान के लिए जार-ओप लांगसो जल आपूर्ति योजना का कार्य ₹6.00 करोड़ की लागत पर 2013 में शुरू की गई तथा फरवरी 2014 तक पूरा किए जाने के लिए निर्धारित थी परन्तु क्षेत्र की पृथकता के कारण यह अपूर्ण रहा।	1	6.00	1.63
		• बाकाखट मंडल में ग्रेटर डेरगाँव ग्रामीण जलापूर्ति योजना को फरवरी 2014 में ₹10.92 करोड़ की लागत के साथ प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ था। विभाग ने बताया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम शुरू नहीं हुआ। जबकि अभिलेखों की जाँच के आधार पर पाया गया कि संबंधित उप-मंडल द्वारा अक्तूबर 2015 में ही आवश्यक भूमि को अधिकृत कर लिया गया था।	1	10.92	
		• जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है मार्च 2013 व जून 2014 के बीच हेलकंडी व जोरहाट प्रखंडों मे शुरू किये गए 10 कार्य अधूरे रह गए।	10	136.24	70.34
4.	बिहार	• ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना के पुनर्संयोजन के कार्य को एक वर्ष में पूरा करने हेतु मई 2013 में लिया गया। तथापि, कार्य को ₹0.41 के व्यय के बाद धीमी गति के कारण जुलाई 2017 में रद्द कर दिया गया।	1	0.75	0.41

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
		• पटना जिले के, मनेर में 45 आर्सेनिक प्रभावित अधिवासों हेतु 8.95 मिलियन लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) की क्षमता के पृष्ठ जल आपूर्ति योजना से संबंधित निर्माण कार्य को जून 2009 में लिया गया, परन्तु जैसाकि पैरा 4.2.6 में वर्णित है यह अपूर्ण रहा।	1	62.00	45.35
5.	गुजरात	• नर्मदा जिले में, 12 फ्लोराइड प्रभावित गाँवों के निवासियों को पीने योग्य पानी (पृष्ठ जल) उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा गैर-स्त्रोत क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना भाग-।। के कार्य को ₹4.70 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था (मार्च 2012) और इसे फरवरी 2013 तक पूरा करना था। आपूर्ति का कार्य और पाइपलाइन बिछाने का कार्य ₹3.73 करोड़ के व्यय के बाद अगस्त 2014 में पूरा हुआ। यद्यपि पाइपलाइन में कई जगहों पर रिसाव के कारण यह जल-परीक्षण में असफल पांई गई (नवंबर 2013 से अगस्त 2014)। कार्य की धीमी गति व दोषपूर्ण पाइपों के नहीं बदलने के कारण जून 2016 में अनुबंध को रद्द कर दिया गया। ठेकेदार मध्यस्थता में जाने के कारण कार्य ₹3.73 करोड़ के व्यय के बाद भी अधूरा रह गया।	1	4.70	3.73
6.	हिमाचल प्रदेश	• धूमर्विन, काजा और पूह प्रखंडों में 97 बस्तियों को कवर करने हेतु जून 2009 और जुलाई 2016 के दौरान छः योजनाओं के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई, परन्तु यह भूमि-विवाद और ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं करने के कारण मार्च 2012 और मार्च 2017 से अधूरा पड़ा रह गया।	6	7.92	5.46
		• सोलन प्रभाग के तहसील अरकी में बस्तियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु, ₹21.69 करोड़ की लागत के साथ योजना को जून 2011 में प्रशासनिक स्वीकृत दी गई थी। यद्यपि जल स्रोत में बदलाव के कारण योजना की तकनीकी संस्वीकृति फरवरी 2015 में अर्थात् प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के चार साल बाद, ₹21.59 करोड़ हेतु प्राप्त हुई। योजना गैर-निष्पादित रही क्योंकि ठेकेदार के अग्रिम के रूप में मात्र 81 प्रतिशत ही व्यय (जून 2017) किया गया ।	1	21.59	3.60
		• जिला बिलासपुर में सदर, गुमर्विन और झंडुटा प्रखंड में जून 2010 में सौंपी गयी 41 योजनाएं अपूर्ण रह गयीं जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है ।	41	47.08	38.99
7.	जम्मू एवं कश्मीर	• अवन्तिपुर मंडल में, मार्च 2013 से मार्च 2016 तक चार योजनाएं धन की कमी के कारण अधूरी पड़ी थीं।	4	12.01	6.33

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
8.	झारखंड	• जिला पलामू में फ्लोराइड प्रभावित अधिवासों हेतु बारातोला जल आपूर्ति योजना, ₹16.38 करोड़ की लागत से अक्तूबर 2009 में ली गई; जिन्हें जनवरी 2011 तक पूर्ण करना था। भूमि के अधिग्रहण न होने और प्राधिकारियों से अनापत्ति नहीं मिलने के कारण योजना अधूरी रह गयी। ठेकेदार ने ₹12.29 करोड़ के कार्य को करने के बाद (मार्च 2013 तक) लागत दर में वृद्धि के कारण काम करने से मना कर दिया और अप्रैल 2013 में अनुबंध को रद्द कर दिया गया। शेष कार्य हेतु निविदा फरवरी 2014 में दी गई और कार्य को ₹10.26 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को दिया गया। ठेकेदार को ₹8.85 करोड़ का भुगतान किया गया (मई 2016) और कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है (जुलाई 2017)।	1	24.75	21.14
		• जिला पलामू में, फ्लोराइड प्रभावित अधिवासों हेतु पूरबदीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना मार्च 2008 में ₹1.33 करोड़ की लागत पर मार्च 2009 में निर्धारित समापन अवधि के साथ ली गई। डक्टाइल लौह पाइपों (विभागीय रूप से आपूर्ति) एवं आवश्यक भूमि की अनुपलब्धता के कारण योजना अधूरी रह गयी। अनुबंध को रद्द कर दिया गया (अक्तूबर 2010)। अनुमानित लागत को संशोधित कर ₹2.53 करोड़ कर दिया और शेष कार्य (जुलाई 2017) को ₹1.58 करोड़ की लागत पर दिया गया।	1	2.53	1.44
		• नगरून्तरी प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुल्हुल्ला में फ्लोराइड प्रभावित अधिवासों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने हेतु हुलहुल्ला खुर्द ग्रामीण जल आपूर्ति योजना ₹0.86 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2007 में स्वीकृत की गई और इसे मार्च 2010 तक पूर्ण करने के उद्देश्य से सितंबर 2008 में कार्यान्वयन हेतु लिया गया। यद्यपि पाईपों के आभाव (जिसकी आपूर्ति विभागीय रूप से की जानी थी) कार्य पूर्ण नहीं हुआ और इसे बंद कर दिया गया। कार्य को पुनः ₹0.74 करोड़ की लागत पर जुलाई 2010 में लिया गया जिसमें आपूर्ति व पाइपलाइन बिछाने की लागत भी शामिल थी। कार्य रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरने वाली 290 मीटर लंबी पाइपलाइन के कारण अधूरा रह गया क्योंकि रेलवे प्राधिकरण से इसकी अनुमति अभी तक प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।	1	0.86	0.85
		• पश्चिम सिंहभूम जिले में 253 पीडब्ल्यूएस योजना (चायबासा-181 और चक्रधरपुर-72) 2012-14 के दौरान क्रियान्वयन हेतु ली गई जोकि अधूरी ही रहीं, जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है।	253	32.83	27.40
		• साहिबगंज जिले में, गुणवत्ता प्रभावित संघटक के अन्तर्गत 4 प्रखंडो में 58 गांवों हेतु जुलाई 2012 में एक मेगा जलापूर्ति योजना क्रियान्वयन हेतु ली गई जो अधूरी रही, जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है।	1	147.93	117.67

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
9.	कर्नाटक	• चमराजानगर तथा गुंधुपेट तालुकों के 297 गांवों को पीने योग्य जल की आपूर्ति के लिए दो कार्य ₹497.80 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2015 तक समापन हेतु मार्च 2014 में शुरु किये गये थे जो अपूर्ण रह गये (मार्च 2017)। इसके अलावा कार्य को सौंपे जाने के आठ माह के पश्चात् कार्य के निरीक्षण हेतु ₹7.78 करोड़ के एकमुश्त पारिश्रामिक पर नियुक्त परियोजना मॉनीटरिंग सलाहकार के कार्य को कार्य की समाप्ति तक बढाकर ₹0.38 करोड़ प्रतिमाह कर दिया गया था, जिसके कारण ₹2.29 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।	2	497.80	
		• चार जिलों (बगलकोट, गदाग, यादगिर और चित्रदुर्गा) में, 2007-08 और 2012-13 के बीच निष्पादन हेतु शुरू किए गए छः कार्य अपूर्ण रह गये, जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।	6	53.20	42.59
		• तीन जिलों (बगलकोट, गदाग और टुमाकुरू) में 2007-08 , 2011-12 और 2012-13 के दौरान शुरू की गई पांच जल आपूर्ति योजनाएं अपूर्ण रह गये, जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।	5	42.95	39.56
10.	केरल	• ₹61.94 करोड़ की अनुमानित लागत पर जनवरी 2002 और मई 2015 के बीच शुरू किए गए छः कार्य (डब्ल्यूएसएस से कोट्टीयुर, केलाकम और कनीचर; मंजलूर पंचायत में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में सुधार; थिरूवली और नजदीकी गांवों में सीएआरडब्ल्यूएसएस; डब्ल्यूएसएस मुन्नीयूर ग्राम पंचायत एआरडब्ल्यूएसएस करूर पंचायत और डब्ल्यूएसए से मीनाचिल, थलप्पलम और बारानंगनम पंचायत) अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण नहीं होने के कारण अपूर्ण रह गये ।	6	61.94	
		• मार्च 2014 से अक्तूबर 2016 के बीच ₹32.78 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2014 और अप्रैल 2017 के बीच समापन हेतु छः कार्य (डब्ल्यूएसएस से मडयल पंचायत; सीडब्ल्यूएसएस से ईरीक्कुर और नजदीकी गांव; डब्ल्यूएसएस से वालावन्नुर-कालपकंचन पंचायत; सीएआरडब्ल्यूएसएस से थिरूनया और नजदीकी गांव; डब्ल्यूएसएस से चिकोडे और आसपास के गांव तथा स्रोत स्थिरता-वेट्टूर पंचायत में आरडब्ल्यूएसएस से काक्काकुज़ी) सड़क काटने की अनुमतियों के अभाव में अपूर्ण रहे थे।	6	32.78	
11.	मणिपुर	• जून 2013 तथा सितम्बर 2010 में निष्पादन के लिए शुरू की गई दो योजनाएं (पीएचई बिष्णुपुर मंडल - सेटलिंग टैंक का निर्माण, धीमा रेत फिल्टर, सेवा जलाशय फिल्टर मीडिया और पंप हाऊस का निर्माण तथा पीएचई थाऊबल मंडल-बित्रा की जल आपूर्ति योजना), जिन्हें जून 2015 तथा सितम्बर 2013 तक पूर्ण किया जाना था, अपूर्ण रही।	2	0.53	0.46
		• नोंगमायखोंग में 2012-13 के दौरान ₹0.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर आरडब्ल्यूएस का कार्य निष्पादन के लिए	1	0.20	0.11

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
		शुरू किया गया था। मार्च 2015 तक, सेटलिंग टैंक और पाइपों के प्रापण पर ₹0.11 करोड़ का व्यय हुआ था। प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया कि पांच वर्षों से अधिक के पश्चात् भी योजना को अब तक पूरा नहीं किया गया था (जुलाई 2017)।			
		• थाऊबल प्रभाग में, एक एआरडब्ल्यूएस योजना का निष्पादन ₹0.66 करोड़ की लागत पर नवम्बर 2013 में पूरा हुआ बताया गया था। भौतिक जांच के दौरान (अगस्त 2017) लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना शुरू नहीं की गई थी तथा सृजित परिसंपत्तियां जीर्ण स्थिति में थीं। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन, फिल्टर मीडिया, बिजली संस्थापन कार्य स्थल पर नहीं पाए गए थे।	1	0.45	0.66
12.	पंजाब	• गांव जग्गा राम तीर्थ और जुम्बर बस्ती के लिए पीने योग्य जल प्रदान करने हेतु कार्य को ₹2.77 करोड़ की लागत पर अक्तूबर 2014 में संस्वीकृत किया गया था। पैकेज-I का कार्य जुलाई 2015 तक ₹1.72 करोड़ की लागत पर पूरा करने हेतु प्रदान किया गया था (अक्तूबर 2014)। यद्यपि, वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण पाइलाइन डालने का कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ था। योजना पर किए गए ₹1.57 करोड़ का व्यय अलाभदायक रहा।	1	2.77	1.57
13.	सिक्किम	• 14 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्य, जो नवम्बर 2013 और जनवरी 2016 के बीच समापन हेतु दिसम्बर 2012 और जनवरी 2015 के बीच शुरू किए गए, सामग्री (पाइप) की अनुपलब्धता, जल स्रोत में परिवर्तन, भूमि विवाद, निधियों की कमी आदि के कारण अपूर्ण रहा।	14	5.14	1.33
		• तीन[1] कार्य जो फरवरी 2014 और फरवरी 2015 के दौरान संस्वीकृत (₹0.63 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत/प्रदान किया गया) किये गए थे यद्यपि पूर्ण किये गए (मार्च 2016) या 90 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी (मार्च 2017) अपने अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं किया क्योंकि वर्ष के दौरान जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।	3	0.63	

[1] आरडब्ल्यूएसएस से हित्ती धारा से नमफोक, सारकी झोरा से छावांगाव और भालुखोप स्त्रोत से संगटोंग

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
		• दक्षिण सिक्किम जिला में, ₹0.56 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर दो[2] कार्य फरवरी 2014 और मई 2015 तक समापन हेतु सहकारी समिति को प्रदान किए गए थे। भौतिक जांच के दौरान (मई/जून 2017) यह पाया गया कि सामग्री की अनुपलब्धता (जीआई पाइप) और सड़क के निर्माण के दौरान टैंक की क्षति के कारण दोनों कार्य रूके हुए थे।	2	0.56	
14.	राजस्थान	• वैसे गांव जहां जल को टैंकों के माध्यम से पहुंचाया जाता था को जल प्रदान करने के लिए ₹98.10 करोड़ की तकनीकी संस्वीकृति के साथ बोराबस-मंडाना जल आपूर्ति परियोजना को सितम्बर 2012 में शुरू किया गया और इसे दिसम्बर 2014 तक पूरा किया जाना था। यह कार्य अपूर्ण रहा क्योंकि वन तथा वन्य जीवन मंजूरियां प्राप्त नहीं की गई थीं।	1	98.10	49.57
		• जिला भीलवाड़ा में, चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना के अंतर्गत 1,698 गांवों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का कार्य अक्तूबर 2016 तक पूरा कर लिया जाना था, अपूर्ण रहा। इसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।	1	1495.68	204.30
		• जिला फुलेरा में, 173 गांवों हेतु जल आपूर्ति योजना जिसे जुलाई 2013 में प्रारंभ किया गया, अपूर्ण रहा जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गयी है।	1	226.95	115.68
15.	तेलंगाना	• अप्रैल 2012 और अप्रैल 2016 के बीच प्रारंभ किये गए नौ कार्य अपूर्ण रहे जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।	9	248.18	149.81
		• नालगोंडा जिले में, मई 2014 में प्रदत्त सीपीडब्ल्यूएस योजना अपूर्ण रही जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।	1	71.00	60.17
16.	त्रिपुरा	• 2007-08 से 2013-14 के बीच 11 पृष्ठ जल शोधक संयंत्रों की स्थापना का कार्य अपूर्ण रहा।	11	44.51	21.19
	कुल		**437**	**4,293.49**	**1,667.46**

[2] कोची में आरडब्ल्यूएसएस से तिरिखोला स्त्रोत और आरडब्ल्यूएसएस की वृद्धि से तुरखोला स्त्रोत से श्यामदास अपर डवारी वार्ड

अनुबंध-4.2
परित्यक्त निर्माण कार्य
(पैरा 4.2.9 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	• अप्रैल 2012 और दिसम्बर 2016 के दौरान ठेकेदारों ने पांच[3] कार्यों (₹10.94 करोड़ की अनुमानित लागत) को बीच में छोड़ दिया था। इन कार्यों पर ₹6.17 करोड़ का व्यय हुआ था जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।	5	6.17
2.	असम	• दीफु (आर) जल आपूर्ति प्रभाग में, ₹1.13 करोड़ का व्यय करके एक भू-जल आधारित योजना (बलीजान सं.1) पूरी की गई थी। हालांकि, दो प्रयासों के पश्चात भी गहरे नलफूप के संस्थापन से संबंधित निर्माण कार्य असफल रहा था और योजना प्रारंभ नहीं हो सकी थी। इसके कारण योजना पर किया गया ₹1.13 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।	1	1.13
3.	जम्मू एवं कश्मीर	• कारगिल प्रभाग में, भूमि विवाद के कारण ₹0.40 करोड़ का व्यय करने के पश्चात्, पांच निर्माण कार्य (₹1.59 करोड़ की अनुमानित लागत) अधूरे छोड़ दिए गए।	5	0.40
		• दो[4] निर्माण कार्य जिन्हें फरवरी 2009 और मार्च 2012 में ₹0.53 करोड़ की लागत से पूरा किया गया था, गैर-क्रियात्मक रहे।	2	0.53
4.	झारखंड	• मेदिनीनगर में, बारालोटा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 2012-13 में डाले गए 4.50 किमी नमनीय लोहे के पाइपों पर ₹0.52 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया क्योंकि मार्च 2013 में निर्माण कार्य को रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, एक मौजूदा सड़क को चौड़ा और मज़बूत करते समय नए तरीके से डाली गई पाइपलाइन, सड़क के नीचे दब गई। इसके अलावा, जल शोधक संयंत्र और जीएलएसआर पर ₹0.20 करोड़ की लागत से किया गया निर्माण-कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया।	1	0.72

[3] सीपीडब्ल्यूएस से चिंतालापुदी और जिला पश्चिम गोदावाई में प्राथी कोल्लालंका में बैंड का सशक्तिकरण और सुरक्षा कार्य, मंगलागिरि (एम) के कृष्णायापेलम (वी) को एक गांव जल योजना और मंगलागिरि (एम) का कुरूगल्लू (v); जिला गुंतुर के मंगलागिरि (एम) के नीरूकोंडा की योजना

[4] इब्ल्यूएसएस गाटू गोशन और चोका टाचा

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
		• हजारीबाग जिले में, ₹1.34 करोड़ की लागत पर चुनी गयी आठ लघु ग्रामीण पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजनाएं जिन्हें दिसम्बर 2014 तक पूरा कर लेना था, भूमि की अनुपलब्धता समेत विभिन्न कारकों के कारण ₹0.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् अपूर्ण रह गई थीं। ढ़ाई वर्ष बीत जाने के बाद भी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं किए गए थे।	8	0.36
		• पलामू जिले में, मार्च 2008 और जनवरी 2010 में ₹12.19 करोड़ की लागत पर चुने गए दो निर्माण कार्य (सिंगरा और बिशरामपुर) छोड़ दिए गए थे जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।	2	5.52
5.	कर्नाटक	• तालुक येलांदुर में, बी.आर हिल्स तक पाइपयुक्त जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए ओवरहेड टैंक के निर्माण के कार्य को छः माह में समापन हेतु अप्रैल 2016 में ₹0.22 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया था। ₹0.04 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् निर्माण-कार्य को भूमि विवादों के कारण छोड़ दिया गया।	1	0.04
		• तालुक चमराजनगर में, ₹0.12 करोड़ की लागत पर एक पाइपयुक्त जल आपूर्ति निर्माण, कार्य जून 2013 में निष्पादन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि, ₹0.05 करोड़ व्यय करके ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन का एक भाग पूरा करने और पंप हाऊस का निर्माण करने के बाद, जुलाई 2013 के बाद से निर्माण-कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी।	1	0.05
		• जिला यादगीर में, ₹2.96 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् स्रोत के संदूषण के कारण 11 गांवों को जल आपूर्ति का निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिया गया था, जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।	1	2.96
		• जिला चित्रदुर्ग में, पाइपलाइनों में अत्यधिक रिसाव और स्रोत के सूख जाने के कारण, 27 गांवों का जल आपूर्ति का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया था जिससे ₹9.45 करोड़ का व्यय व्यर्थ साबित हुआ जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।	1	9.45
6.	महाराष्ट्र	• जिला पुणे में, स्रोत से जल निकालने के विरोध में ग्रामवासियों द्वारा प्रदर्शन करने के कारण विभाग ने गांव हिन्जावडी में चिन्हित स्रोत (कसरसाई मध्यम सिंचाई परियोजना) से जल नहीं निकाला। इसके कारण जैकवैल के खुदाई कार्य और जैकवेल तक पहुंच सड़क पर किया गया ₹0.37 करोड़ का व्यय (अक्तूबर 2015) व्यर्थ हो गया।	1	0.37
7.	नागालैंड	• ₹0.17 करोड़ की लागत पर, 2014-15 के दौरान, संस्वीकृत जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक योजना जिसे पूरा हुआ बताया गया था, उसे एक आईआरपी इकाई और एक सार्वजनिक फव्वारे का निर्माण न होने के कारण गैर-कार्यात्मक पाया गया (जुलाई 2017)।	1	0.17

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
		• जिला कोहिमा में, ₹0.14 करोड़ की लागत पर, 2014-15 में सनोरू - पेरासियेजी को जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए परियोजना शुरू की गई थी और नवम्बर 2014 में पूरी हुई बताई गई थी। भौतिक सत्यापन (जुलाई 2017) के दौरान, भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य अधूरा पाया गया।	1	0.14
		• भूजल को पंप करके मेनगुज़ुमा को जल आपूर्ति में वृद्धि करने की योजना को ₹0.22 करोड़ की लागत पर, 2014-15 में शुरू किया गया था और नवम्बर 2014 में पूरा हुआ बताया गया था। भौतिक जांच (जुलाई 2017) के दौरान, स्रोत पर जल की गैर-उपलब्धता के कारण योजना को गैर-कार्यात्मक पाया गया।	1	0.22
8.	ओडिशा	• क्योंझर प्रभाग में, स्रोत का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्य, संवितरण प्रणाली, राइजिंग लाइन, उपचार इकाई, ऊंचा भंडारण जलाशय, सुपुर्दगी केन्द्र, आदि हेतु 2012-13 के दौरान, 11 बस्तियों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए दो निर्माण कार्य ₹1.16 करोड़ में संस्वीकृत किए गए थे। हालांकि, ₹0.17 करोड़ का व्यय करके इन निर्माण कार्यों को छोड़ दिया गया क्योंकि 2015-16 में इन बस्तियों में ₹0.25 करोड़ की लागत पर मौजूदा नलकूप में पांच सौर डयूल पंप संस्थापित किए गए थे।	2	0.17
		• प्रभाग नौपाड़ा में, 2009-12 के दौरान, ₹1.68 करोड़ में संस्वीकृत तीन निर्माण कार्यों को, पाइपों की खरीद पर ₹0.25 करोड़ का व्यय करने के पश्चात्, छोड़ दिया गया था।	3	0.25
		• प्रभाग खरायर में, आईएमआएस के अनुसार, 11,225 की जनसंख्या को पीने योग्य जल की आपूर्ति हेतु 2010-11 के दौरान संस्वीकृत दो निर्माण कार्यों[5] की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत थी। हालांकि, भौतिक सत्यापन जांच से पता चला कि 20 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त करने तथा स्रोत सृजन और पाइपों की खरीद पर ₹0.93 करोड़ का व्यय करने के पश्चात्, निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया था।	2	0.93
		• ₹3.76 करोड़ की लागत पर निष्पादित 1,310 नलकूप असफल रहे थे जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई थी।	1,310	3.76
9.	पंजाब	• पटियाला और राजपुरा प्रभागों में, ₹0.62 करोड़ की लागत पर निर्मित दो जल आपूर्ति योजनाएं[6] संवितरण प्रणाली में रिसाव और बिजली के बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण, गैर-कार्यात्मक हो गये थे।	2	0.62

[5] पीडब्ल्यूएस से थेलकेदुंगरी और कुलीगांव

[6] धरमगढ़ (राजपुरा-नवम्बर 2014) और रखरा (पटियाला-अप्रैल 2015)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
		• जिला फतेहगढ़ साहिब में, ₹0.61 करोड़ की लागत पर संस्थापित एक जल आपूर्ति योजना और 10 हैंडपम्प, विवादों और जल गुणवत्ता समस्याओं के कारण गैर-कार्यात्मक हो गए थे।	11	0.61
10.	राजस्थान	• तहसील यूनीयारा में, मई 2013 तक समापन हेतु, ₹1.73 करोड़ की लागत पर शुरू किए गए जल आपूर्ति योजना बेठा रूपवारा का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा ₹1.02 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् छोड दिया गया था (मार्च 2013)।	1	1.02
		• जिला जैसलमेर में, जल आपूर्ति योजना (सागरमल गोपा शाखा रामगढ-सोनू-मोकान-खुनियाला) को कठिन स्तर के कारण बीच में छोड़ दिया गया था जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।	1	1.87
11.	सिक्किम	• जिला दक्षिण सिक्किम में, ₹0.47 करोड़ की लागत पर मार्च 2014 में एक जल आपूर्ति योजना पूरी की गयी। भौतिक जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि संपूर्ण निर्माण कार्य सड़क की चौडाई बढ़ाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।	1	0.47
		• मणिराम भांज्यांग में, ₹1.08 करोड़ की लागत पर एक जल आपूर्ति योजना को नवम्बर 2014 तक पूरा किया जाना था। भौतिक जांच से पता चला (जून 2017) कि ₹0.30 करोड़ की लागत पर 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया गया था तथा सड़क की चौडाई बढ़ाने के कार्य के कारण छः किलोमीटर की सड़क के साथ की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।	1	0.30
12.	उत्तर प्रदेश	• रायबरेली में, रेत और मिट्टी के अतिरिक्त स्खलन के कारण बरदार जल आपूर्ति योजना को बीच में छोड़ दिया गया जिसकी चर्चा नीचे पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।	1	1.84
	कुल		**1,367**	**40.07**

अनुबंध-4.3

सहायता गतिविधि योजना (आईईसी, एचआरडी, एमआईएस, आर एण्ड डी) को तैयार/लागू न करना

(पैरा 4.7.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	• आईईसी, एचआरडी, एमआईएस, आर एण्ड डी की वार्षिक योजना को एएपी में शामिल नहीं किया गया। • जिला और राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण योजना तैयार नहीं की गई थी। • विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन कार्यशाला के आधार पर प्रशिक्षण मॉडयूल, वार्षिक रूप से तैयार नहीं किया गया था। • गुंतुर जिले में, सहायता गतिविधियों के लिए ₹97.77 लाख का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि जिले ने आईईसी गतिविधियों के लिए योजना तैयार नहीं की थी (मार्च 2017)।
2.	**अरूणाचल प्रदेश**	• विभाग ने आईईसी/एचआरडी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए व्यापक योजना तैयार नहीं की थी। • पांच वर्षों की अवधि के दौरान 24,463 आईईसी में से 13,091 और 15,966 एचआरडी गतिविधियों में से 11,858 को संचालित किया बताया गया था। • गतिविधियों के प्रभाव और पर्याप्तता के आकलन हेतु, संचालित गतिविधियों की सटीक प्रकृति के कोई अभिलेख नहीं थे।
3.	**असम**	• विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक उपलब्धियाँ, 2012-17 की संपूर्ण अवधि के दौरान, वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थीं। • आईईसी गतिविधियों के लिए लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि, 2012-14 के दौरान, तीन प्रतिशत और 2014-17 के दौरान 19 प्रतिशत थी।
4.	**बिहार**	• 2013-17 के दौरान, एमआईएस, आईईसी और प्रशिक्षण से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। • आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 2012-13 में, सहायता गतिविधियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। • 2012-17 के दौरान, आर एण्ड डी गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।
5.	**गोवा**	• 2015-16 से पूर्व, आईईसी गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।
6.	**हिमाचल प्रदेश**	• आईईसी, एचआरडी और कम्प्यूटर कार्यक्रम के अंतर्गत, 2012-17 के दौरान, लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी क्रमशः 18, 5 और 35 प्रतिशत थी। • विभाग ने कार्यक्रम का आर एण्ड डी सेल स्थापित नहीं किया था।
7.	**जम्मू एवं कश्मीर**	• आईईसी गतिविधियों के लक्ष्यों के प्रति, 34 से 94 प्रतिशत के बीच की कमी थी। • एचआरडी के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं के लिए, लक्ष्यों के प्रति, 2012-15 के दौरान, 9 से 58 प्रतिशत के बीच तथा 2015-17 के दौरान, 100 प्रतिशत की कमी थी। • जीपी के प्रशिक्षण हेतु, लक्षित 2.51 लाख व्यक्तियों में से 2013-17 के दौरान केवल 220 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
8.	**केरल**	• निधियों की उपलब्धता के बावजूद, सीसीडीयू ने सहायता गतिविधियों के अंतर्गत कार्यक्रमों की शुरूआत नहीं की थी। इसका कारण श्रमशक्ति की कमी बताया गया था। • आर एण्ड डी के अंतर्गत किसी गतिविधि की शुरूआत नहीं की गई थी।

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		• 2012-17 के दौरान, आईईसी गतिविधियों के लिए लक्ष्य के प्रति प्राप्ति, 45 प्रतिशत और यह एचआरडी गतिविधियों के अंतर्गत 12 प्रतिशत थी। • 1.35 लाख प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के प्रति, केवल 16,915 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था।
9.	**मध्य प्रदेश**	• आर एण्ड डी के अंतर्गत तीन गतिविधियों की शुरूआत की गई थी। • एचआरडी के अंतर्गत 10,078 में से 8,066 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। • चयनित 44 जीपी में से, 42 जीपी में आईईसी, एचआरडी और अन्य जागरूकता गतिविधियां नहीं की गई थीं।
10.	**महाराष्ट्र**	• डब्ल्यूएसएसओ ने एसएलएसएससी के अनुमोदन हेतु आर एण्ड डी गतिविधियों के लिए एएपी तैयार नहीं किए थे। • आईईसी के अंतर्गत 86,441 गतिविधियों में से, 21,332 (25 प्रतिशत) संचालित की गई थी।
11.	**मणिपुर**	• 76,338 आईईसी गतिविधियों और 218 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य के प्रति, कमी क्रमशः 27 प्रतिशत और 50 प्रतिशत थी। • किसी आर एण्ड डी गतिविधि और कम्प्यूटर प्रशिक्षण की शुरूआत नहीं की गई थी।
12.	**मेघालय**	• 20 से 30 प्रतिशत लक्षित गतिविधियां, 2012-16 के दौरान, शुरू की गई थीं। • 2016-17 में प्राप्ति 88 प्रतिशत थी क्योंकि लक्ष्य काफी कम कर दिए गए थे।
13.	**मिजोरम**	• विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार करने के लिए कोई प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन नहीं किया गया था। • 2012-17 के दौरान, प्रशिक्षण के लिए लक्षित 6,525 व्यक्तियों में से 2012-13 से 2014-15 के दौरान केवल 3,887 को प्रशिक्षित किया गया था और 2015-17 के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। • किसी आर एण्ड डी गतिविधि की शुरूआत नहीं की गई थी।
14.	**नागालैंड**	• 303 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य के प्रति, 2012-14 के दौरान, 209 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2014-15 में, 900 के लक्ष्य के प्रति कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था और 2015-17 के दौरान, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। • किसी आर एण्ड डी गतिविधि की शुरूआत नहीं की गई थी।
15.	**पंजाब**	• 2012-13 और 2014-17 के दौरान, आईईसी गतिविधियों में कमी 14 से 74 प्रतिशत के बीच थी।
16.	**राजस्थान**	• आईईसी हेतु व्यय का मुख्य भाग राज्य स्तरीय गतिविधियों पर किया गया था और 0 से 39 प्रतिशत के बीच के बहुत छोटे भाग का व्यय ग्राम स्तरीय गतिविधियों पर हुआ था। • 2015-17 के दौरान, किसी जिला एवं ग्राम स्तरीय आईईसी गतिविधियों की शुरूआत नहीं की गई थी। • डब्ल्यूएसएसओ द्वारा कोई आर एण्ड डी, सॉफ्टवेयर विकास और कम्प्यूटर प्रशिक्षण गतिविधियों की शुरूआत नहीं की गई थी।

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
17.	**सिक्किम**	• 2012-17 की अवधि के दौरान, सहायता गतिविधियों के लिए कोई सहायता गतिविधि योजना तैयार नहीं की गई थी। • 2012-17 के दौरान, वार्षिक रूप से 880 कर्मियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के प्रति 2015-16 और 2016-17 के दौरान केवल क्रमशः 378 और 33 प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षित किया गया था। • किसी आर एण्ड डी गतिविधि की शुरूआत नहीं की गई थी।
18.	**तेलंगाना**	• प्रशिक्षण, आईईसी तथा एचआरडी गतिविधियों, आदि के लक्ष्य निर्धारित करते समय सहायता गतिविधि योजना को एएपी में शामिल नहीं किया गया था। • आर एण्ड डी गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया गया था।
19.	**त्रिपुरा**	• आर एण्ड डी गतिविधियों को छोड़कर, सहायता गतिविधियों के लिए एएपी तैयार किए गए थे। • 2012-17 के दौरान, आयोजित किए जाने वाले 483 लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति, 389 (80 प्रतिशत) आयोजित किए गए थे।

अनुबंध- 4.4

जल की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशालाओं, अवसंरचना और उपकरण की कमी

(पैरा 4.8.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	• 107 प्रयोगशालाओं में से केवल एक प्रयोगशाला अर्थात गुंटुर जिला प्रयोगशाला को मान्यता प्राप्त थी।
2.	अरूणाचल प्रदेश	• एसएलएल के पास चौदह की अपेक्षित संख्या के प्रति केवल आठ कर्मचारी थे। • चार चयनित जिलों के डीएलएल, 34 निर्धारित मापदंडों में से केवल 10 की जांच करने में सक्षम थे। • डीएलएल के पास, 32 की आवश्यकताओं के प्रति केवल छः कर्मचारी थे।
3.	असम	• एसएलएल 78 मापदंडों के प्रति केवल 19 मापदंडों की जांच करने में सक्षम था। • डीएलएल, 34 मापदंडों की आवश्यकता के प्रति 13 से 25 मापदंडों की जांच करने में सक्षम था। • डीएलएल के पास श्रमशक्ति की कमी थी।
4.	बिहार	• एसएलएल 78 मापदंडों के प्रति केवल 17 मापदंडों की जांच करने में सक्षम थी। • डीएलएल (चयनित जिले) 34 मापदंडों के प्रति केवल 14 से 15 की ही जांच करने में सक्षम थे। • पटना जिला आर्सेनिक प्रभावित था, परंतु 2012-17 के दौरान, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कार्य न करने के कारण डीएलएल ने आर्सेनिक संदूषण की जांच नहीं की थी। • ब्लॉक/उप-प्रभाग स्तरों पर प्रयोगशालाएं मौजूद नहीं थीं।
5.	छत्तीसगढ़	• डीएलएल (आठ चयनित जिले) 34 मापदंडों मे से केवल 8 से 18 मापदंडों की ही जांच करने में सक्षम थे। • रायपुर जिले को छोड़कर, डीएलएल में आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। • पांच डीएलएल के पास अपर्याप्त कर्मचारी थे जबकि तीन (**कवर्धा, सुरजपुर** एवं **जशपुर**) में कोई कर्मचारी नहीं थे। • एसडीएलएल 76 पीएचई उप-प्रभाग मे से सिर्फ 24 में ही क्रियाशील थीं।
6.	गोवा	• किसी भी प्रयोगशाला के पास एनएबीएल मान्यता नहीं थी।
7.	गुजरात	• 32 डीएलएल में से, केवल चार के पास एनएबीएल मान्यता थी, वह भी 34 मापदंडों में से केवल 13 के जांच करने के लिए थी। • अपेक्षित उपकरणों की गैर-उपलब्धता के कारण, एसएलएल में 78 निर्धारित मापदंडों में से केवल 16 और डीएलएल में 34 मापदंडों में से केवल 14 की जांच की गयी थी।
8.	हिमाचल प्रदेश	• राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर 42 प्रयोगशालाओं की स्थापना के लक्ष्य के प्रति, 2012-17 के दौरान, केवल 25 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी थी। • 106 के लक्ष्य के प्रति, 2012-17 के दौरान, केवल 56 प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाया गया था।

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		• रसायनज्ञयों/जीवाणु विज्ञानियों जैसी अपेक्षित श्रमशक्ति की अनुपस्थिति में चयनित जिलों में अपेक्षित जांच नहीं हुई थीं। • प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव के कारण जीवाणुतत्व-संबंधी जांचों के लिए, खरीद किए गए उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था।
9.	जम्मू एवं कश्मीर	• मौजूदा 22 डीएलएल और 78 एसडीएलएल में से कोई भी एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं थे। • नमूना परीक्षित प्रभागों में, रसायनज्ञ/जल विश्लेषक जैसे स्टाफ को नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था। • डीएलएल में 34 मापदंडों में से केवल 11 से 13 की जांच की गयी।
10.	झारखंड	• एसएलएल के पास 78 अपेक्षित मापदंडों में से केवल 10 की जांच करने के लिए एनएबीएल की मान्यता प्राप्त थी। • किसी भी डीएलएल (चयनित जिलों में) को एनएबीएल की मान्यता नहीं थी। • डीएलएल निर्धारित 34 मापदंडों में से केवल 5 से 15 की जांच कर रहे थे। • डीएलएल के पास उपकरणों एवं श्रमशक्ति की कमी थी और किसी भी चयनित डीएलएल में सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी को नियुक्त नहीं किये गये थे। • चयनित ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं को स्थापित नहीं किये गये थे।
11.	कर्नाटक	• डीएलएल सभी निर्धारित 34 जांचों को करने में सक्षम नहीं थे। • डीएलएल के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं थे। • डीएलएल (चयनित जिलों में) के पास आवश्यक उपकरण कार्यात्मक स्थिति में नहीं थे तथा रसायनों की अपेक्षित सूची का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
12.	केरल	• ब्लॉक स्तर पर, 148 ग्रामीण ब्लॉकों में से, केवल 33 में प्रयोगशालाएं कार्यात्मक थी।
13.	मध्य प्रदेश	• एसएलएल के पास 78 मापदंडों में से केवल 26 की जांच करने की मान्यता थी। • चयनित जिलों में, 72 व्यक्तियों की कुल आवश्यकता के प्रति डीएलएल के पास 31 कर्मचारियों की कमी थी। • 15 चयनित ब्लॉकों में प्रयोगशाला सुविधाएं नहीं थीं।
14.	महाराष्ट्र	• 28 जिलों में, डीएलएल के पास एनएबीएल मान्यता नहीं थी। • डीएलएल और 138 एसडीएलएल के पास आर्सेनिक की जांच करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। • विभिन्न स्तरों पर प्रयोगशालाओं के लिए कुल 818 पदों में से, 224 पद रिक्त थे।
15.	मणिपुर	• एसएलएल 78 मापदंडों में से केवल 14 की जांच करने में सक्षम था। • डीएलएल 34 मापदंडों में से केवल 12 की जांच करने में सक्षम थे। कोई सूक्ष्मजीव विज्ञानी/जीवाणु विज्ञानी प्रयोगशालाओं में नियुक्त नहीं किए गए थे।
16.	मेघालय	• 11 जिलों में से केवल 7 में डीएलएल मौजूद थे।

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		• 41 उप-प्रभागों में से, केवल 20 उप-प्रभागों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी थीं।
17.	मिजोरम	• राज्य प्रयोगशाला और डीएलएल को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त नहीं थी। • एसएलएल, डीएलएल और एसडीएलएल में 50 प्रतिशत श्रमशक्ति कमियां पायी गयी थीं।
18.	नागालैंड	• अपेक्षित उपकरण एवं रसायनों की गैर-उपलब्धता के कारण एसएलएल और तीन चयनित डीएलएल ने निर्धारित मापदंडों के प्रति जांचें नहीं की थीं। • आरंभ से ही दीमापुर में डीएलएल कार्य नहीं कर रहा था। • एसडीएलएल की स्थापना नहीं की गयी थी।
19.	ओडिशा	• डीएलएल को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त नहीं थी। • प्रत्येक प्रयोगशाला में आठ कर्मचारियों की आवश्यकता के प्रति 13 प्रयोगशालाओं में केवल एक कर्मचारी, दस प्रयोगशालाओं में दो कर्मचारी और तीन प्रयोगशालाओं में तीन कर्मचारी थे। • प्रयोगशालाओं में उपकरणों, ग्लासवेयर तथा रसायनों की कमी 28 से लेकर 95 प्रतिशत तक की कमी थी।
20.	पंजाब	• प्रयोगशालाओं में पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं थी।
21.	राजस्थान	• एसएलएल के पास पेयजल में भारी धातुओं, कीटनाशकों/जहरीले तत्वों और रेडियोधर्मी तत्वों की जांच करने के लिए सुविधाएँ एवं उपकरण नहीं थे। • डीएलएल को सभी अपेक्षित मापदंडों की जांच के लिए मजबूत नहीं बनाया गया था।
22.	सिक्किम	• चार डीएलएल और नौ एसडीएलएल की आवश्यकता के प्रति, केवल दो डीएलएल को स्थापित किया गया था। • उत्तर एवं पश्चिम जिलों में, डीएलएल को स्थापित नहीं किया गया था जबकि ₹69.92 लाख का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। • डीएलएल में, सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी तथा नमूना चयन सहायकों जैसा आवश्यक स्टाफ उपलब्ध नहीं थे।
23.	तमिलनाडु	• एसएलएल में, 34 मापदंडों में से आठ की जांच की गयी थी। • एसएलएल में वरिष्ठ रसायनज्ञ, जल विश्लेषक, प्रयोगशाला सहायक तथा नमूना चयन सहायक जैसे कर्मियों की कमी थी। • एसएलएल के साथ-साथ नमूना चयनित नमूना डीएलएल में, सूक्ष्मजीवविज्ञानी/ जीवाणुविज्ञानी के पद संस्वीकृत और मौजूद नहीं थे।
24.	तेलंगाना	• 2010-12 के दौरान स्थापित 76 प्रयोगशालाओं में केवल दो को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त थी।

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
25.	त्रिपुरा	• एसडीएलएल को स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी जबकि ₹2.82 करोड़ की लागत पर 23 नये एसडीएलएल के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था (अगस्त 2009)। • किसी भी प्रयोगशाला में पर्याप्त संस्वीकृत श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं थी। • प्रयोगशालाओं को प्रदान किए गए उपकरण अप्रयुक्त/अप्रचलित स्थिति में पड़े हुए थे।
26.	उत्तर प्रदेश	• 10 नमूना परीक्षित जिलों में से आठ[7] में 38 कर्मचारियों की कमी पायी गयी थी।
27.	उत्तराखंड	• डीएलएल में 34 मापदंडों में से केवल 19 की जांच की गयी थी। • किसी भी प्रयोगशाला को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त नहीं थी।

[7] आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, ईटावा, जौनपुर, झांसी, चित्रकुट और सोनभद्र

अनुबंध-4.5
पानी की गुणवत्ता जांचने में कमियां
(पैरा 4.8.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	• जीवाणुतत्व संबंधी और रासायनिक मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिशतता क्रमशः 39 प्रतिशत एवं 52 प्रतिशत रही। • चयनित जिलों में, 4.15 लाख जल स्रोतों में से 50 प्रतिशत जीवाणुतत्व संबंधी तथा 52 प्रतिशत रासायनिक जांचे की गई थी। • पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता और रसायनिक अभिकर्मकों एवं एच2एस शीशियों की अपेक्षित मात्राओं के गैर-प्रापण के कारण आवश्यक जांचें नहीं की गयी थीं।
2.	अरूणाचल प्रदेश	• चयनित जिलों में, अपेक्षित 92,613 जीवाणुतत्व-संबंधी/रसायनिक जांचों के प्रति, 40 प्रतिशत जीवाणुतत्व-संबंधी/रसायनिक जांचें की गयी थीं। • 6,839 जल स्रोतों के लिए 2012-17 के दौरान अपेक्षित 61,742 जांचों के प्रति मॉनसून से पूर्व और पश्चात 56 प्रतिशत जांच की गयी थी।
3.	असम	• चुनिंदा आठ जिलों में, अपेक्षित 28,952 नमूना जांचों के प्रति एसएलएल ने 2,564 जांचें की थीं। • डीएलएल ने 1.03 लाख लक्षित स्रोतों/वितरण केंद्रों के प्रति 0.68 लाख जांचें की थीं।
4.	बिहार	• चयनित जिलों में, प्रभागों ने कुल स्रोतों में दो से 20 प्रतिशत जांचें की थीं। • चयनित जिलों में स्रोतों से जल गुणवत्ता की मॉनसून से पूर्व एवं पश्चात जांच नहीं की गयी थीं।
5.	छत्तीसगढ़	• चयनित आठ जिलों में, जांच करने में कमी दो से लेकर 95 प्रतिशत तक थी। • एक वर्ष में सभी जल नमूनों की जीवाणुतत्व-संबंधी संदूषण की दो बार तथा रसायनिक संदूषण की एक बार जांच नहीं की गयी थीं।
6.	गोवा	• राज्य प्रयोगशाला ने फ्लुराईड तथा आर्सेनिक संदूषण की जांच नहीं करवायी।
7.	गुजरात	• दिशानिर्देश के अनुसार किसी भी जिला प्रयोगशालाओं ने तालुका में जांची गयी जल नमूना का पुनर्जांच नहीं करवाया। • 4.40 लाख स्रोतों में से, 2016-17 के दौरान 33.39 प्रतिशत की जांच प्रयोगशालाओं में की गई।
8.	हिमाचल प्रदेश	• किए गए अपेक्षित जांचों की कमी 88 प्रतिशत थी।
9.	जम्मू एवं कश्मीर	• आईएमआईएस डाटा ने दर्शाया कि मॉनसून-पूर्व तथा मॉनसून-पश्चात के दौरान वर्ष-वार जांच की गई थी।

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		• तथापि, मॉनसून-पूर्व तथा मॉनसून-पश्चात जांचों के कोई भी रिकॉर्ड/विवरण या तो विभाग के पास या चयनित कार्यकारी प्रभागों में नहीं पाए गए।
10.	झारखंड	• चयनित जिलों में, रसायनिक संदूषण हेतु जांच में कमी 16 और 70 प्रतिशत के बीच थी।
11.	कर्नाटक	• जांच में कमी 90 और 99 प्रतिशत के बीच थी।
12.	केरल	• 22.09 लाख में से 5.80 लाख नमूनों की जांच की गयी थी। • पर्याप्त प्रयोगशालाओं, स्टाफों तथा अन्य अवसंरचना की कमी के कारण सभी स्रोतों की जांच नहीं की गई थी।
13.	मध्य प्रदेश	• चयनित नौ जिलों में, लक्षित 1.55 लाख नमूनों के प्रति, 1.38 लाख जांचें की गयीं थीं। • 13.20 लाख पूर्व और पश्चात-मॉनसून नमूनों के जीवाणु-संबंधी जांच करने के लक्ष्य के प्रति, 0.58 लाख जांच की गयी थी।
14.	महाराष्ट्र	• जांच में कमी सात से 42 प्रतिशत के बीच थी।
15.	मणिपुर	• लक्षित 1,800 जल नमूनों में से, 61 प्रतिशत की जांच राज्य प्रयोगशाला द्वारा की गयी थी। • भारी धातुओं की जांच राज्य प्रयोगशाला द्वारा सितम्बर 2016 में शुरू की गयी थी तथा 20 नमूनों के लक्ष्य के प्रति 60 प्रतिशत जांच की की गयी थी। • राज्य प्रयोगशाला ने पेयजल में कीटनाशकों/जहरीले तत्वों तथा रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति हेतु जांच नहीं की। • चार चयनित जिलों में, डीएलएल हेतु 8,015 जांचों के लक्ष्य के प्रति 73 प्रतिशत जांचें की गयी थीं।
16.	मेघालय	• चयनित जिलों में, किए गए जांच शून्य से नौ प्रतिशत के बीच थे। • आईएमआईएस के अनुसार, रीभोई डीएलएल द्वारा किए गए जांचों को 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 117, 40 तथा 87 के रूप में दर्शाया गया, जबकि इन वर्षों में प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं थी। • विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि आईएमआईएस में रिपोर्ट की गई जांचें वह जांचें थीं जो ग्रामीण स्तर पर एफटीके के माध्यम से की गयी थीं।
17.	मिजोरम	• चयनित ऐजवाल और चम्फई जिलों में, स्रोतों के 28 से 46 प्रतिशत और 12 से 17 प्रतिशत हेतु जल गुणवत्ता जांच क्रमशः मॉनसून पूर्व एवं पश्चात नहीं की गयी थी।
18.	नागालैंड	• दीमापुर जिला में 2,195 स्रोतों हेतु मॉनसून पूर्व तथा पश्चात जांचें नहीं की गयी

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		थीं।
19.	ओडिशा	• प्रयोगशालाएं अनिवार्य मापदंडों जैसे नाइट्रेट, आर्सेनिक, अल्कालिनिटी (जनवरी 2017) जांच नहीं कर रही थी।
20.	पंजाब	• 2013-14 से 2016-17 के दौरान रसायनिक जांच में कमी 34 और 84 प्रतिशत के बीच थी। • जीवाणु-संबंधी जांच पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को एफटीके फिल्ड में वितरित की गई थीं।
21.	राजस्थान	• जांच किए जाने वाले 20.43 लाख स्रोतों में से, 8,094 स्रोतों की जांच दोनों मॉनसून पूर्व एवं पश्चात की गयी थी।
22.	सिक्किम	• जिला प्रयोगशालाओं में प्रत्येक वर्ष अपेक्षित 36,798 जांचों के प्रति, श्रमशक्ति की काफी कमी के कारण वास्तविक जांच 1 से 5 प्रतिशत के बीच हुई थी। • जैविक संदूषण से बचने के लिए 80 जल स्रोतों का जल उपचार और बाड़ लगाने का काम नहीं किया गया।
23.	तमिलनाडु	• प्रत्येक वर्ष अपेक्षित 2.46 लाख नमूनों के जांचों के प्रति क्रमशः 2015-16 और 2016-17 के दौरान 35 प्रतिशत और एक प्रतिशत जांच की गई थी। • 2016-17 में मंत्रालय से निधियों की अपर्याप्त प्राप्ति के कारण डीएलएल और एसडीएलएल द्वारा प्रयोगशाला जांच नहीं की गयी थी।
24.	तेलंगाना	• 2014-15 से 2016-17 के दौरान जल गुणवत्ता जांच में 61 से लेकर 65 प्रतिशत तक की कमी थी।
25.	त्रिपुरा	• 2012-17 के दौरान लक्षित 63,000 जांचों के प्रति निष्पादित जांचों की प्रतिशतता 20 से लेकर 35 प्रतिशत तक थी।
26.	उत्तर प्रदेश	• 9 चयनित जिलों में लक्षित 1.50 लाख स्रोतों में से 0.78 लाख स्रोतों की जांच की गयी थी।
27.	उत्तराखंड	• चयनित जिलों में, 91 से लेकर 95 प्रतिशत स्रोतों तक की जांच नहीं की गयी थी और वर्ष में दो बार जांच किये गये स्रोतों की संख्या दो प्रतिशत से कम थी। • कमियों का कारण स्टाफ की कमी को बताया गया था।

अनुबंध-5.1
आईएमआईएस डाटा में असंगतियाँ
(पैरा 5.3.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	प्रारूप	दी गयी सूचना	टिप्पणियाँ
1.	बी 6	जल आपूर्ति योजना स्रोतों की संख्या 73,87,069 दर्शायी गयी थी।	स्रोतों की संख्या पर अलग-अलग सूचना दी गयी थी
	बी 28	जल आपूर्ति योजना स्रोतों की संख्या 74,42,389 (72,68,567 भू-जल और 1,73,822 पृष्ठ जल)	
2.	बी 28	अक्षांश/देशांतर रेखा (गुजरात में 0,0 दर्शाया गया), जलवाही नामों (गुजरात और राजस्थान में एफजीईजीईएफजी, एबीसी दर्शाया गया) की गलत सूचना	मॉनीटरिंग की दृष्टि से सूचना बेकार थी।
3.	सी 31	टैंकरों की आपूर्ति पर व्यय के प्रति भौतिक स्थिति पूरे वर्षों के दौरान शून्य दिखायी गयी थी।	
4.	बी 15	वर्ष 1899-1900, 1900-1901 एवं 1907-1908 हेतु पाइप द्वारा जल आपूर्ति और नलकूप योजनाओं को हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में दर्शाया गया था।	
5.	डी 1	2016-17 के दौरान, रसायनिक प्रभावित बस्तियों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹114.52 करोड़ था जबकि जीवाणुतत्व प्रभावित आवासों के संबंध में यह ₹35.46 करोड़ था। 2015-16 के दौरान, रसायनिक प्रभावित आवासों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹223.52 करोड़ था।	निर्धारित जल गुणवत्ता घटक के अंतर्गत किए गए व्यय की राशि की अलग-अलग सूचना दी गई।
	डी8ए	2016-17 के दौरान, रसायनिक प्रभावित बस्तियों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹104.47 करोड़ था जबकि जीवाणुतत्व-संबंधी बस्तियों के संबंध में यह ₹27.89 करोड़ था। 2015-16 के दौरान, रसायन से प्रभावित बस्तियों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹220.79 करोड़ था।	
6.	सी 29	2016-17 के लिए, सहायता निधि से संबंधित कुल उपलब्ध निधि ₹409.61 करोड़ थी।	मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के डाटा में भिन्नता थी।
	डी1	2016-17 के लिए, सहायता निधि से संबंधित कुल उपलब्ध निधि ₹395.97 करोड़ थी।	

अनुबंध- 5.2 (ए)
सतही जल निकायों की संख्या
(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	आईएमआईएस के अनुसार डाटा (बी-8)	विभाग के अभिलेखों के अनुसार डाटा
1.	आंध्र प्रदेश	4	0	371
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	2602	6839
3.	बिहार	10	0	37
4.	छत्तीसगढ़	2	2	0
5.	गुजरात	10	284	317
6.	जम्मू एवं कश्मीर	3	190	62
7.	केरल	4	2	1288
8.	मध्य प्रदेश	10	2	0
9.	महाराष्ट्र	10	10	971
10.	मणिपुर	4	1182	1174
11.	मेघालय	2	67	300
12.	मिजोरम	1	1	7
13.	ओड़िशा	8	2	33
14.	राजस्थान	10	1039	8
15.	त्रिपुरा	2	0	5
16.	उत्तराखंड	4	3565	8558

अनुबंध-5.2(बी)

चयनित जिलों में विद्यालय में पेयजल सुविधा की स्थिति

(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जीपी की सं.	विद्यालयों की संख्या		पेय जल सुविधा के साथ विद्यालयों की सं.	
			आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार
1.	अरुणाचल प्रदेश	16	62	33	47	22
2.	असम	46	635	747	533	634
3.	बिहार	40	187	334	185	258
4.	छत्तीसगढ़	32	122	141	115	122
5.	जम्मू एवं कश्मीर	29	114	98	109	70
6.	झारखंड	38	166	284	150	227
7.	कर्नाटक	40	358	315	287	303
8.	केरल	16	0	179	0	179
9.	मध्य प्रदेश	44	205	226	174	197
10.	महाराष्ट्र	54	160	139	154	122
11.	मणिपुर	19	58	58	53	25
12.	मेघालय	16	44	44	24	28
13.	मिजोरम	08	31	20	31	20
14.	नागालैंड	22	36	34	28	20
15.	ओडिशा	48	316	434	266	422
16.	राजस्थान	39	143	309	118	209
17.	सिक्किम	8	44	38	28	23
18.	त्रिपुरा	8	20	28	15	19
19.	उत्तर प्रदेश	54	89	185	71	171
20.	उत्तराखंड	20	35	40	22	36

अनुबंध-5.2(सी)

चयनित जिलों में आंगनवाड़ियों में पेय जल सुविधा की स्थिति

(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जीपी की सं.	आंगनवाडियों की संख्या		पेय जल सुविधा के साथ आंगनवाडियों की सं.	
			आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार
1.	अरुणाचल प्रदेश	16	71	57	16	15
2.	असम	46	319	745	140	264
3.	बिहार	40	55	323	47	98
4.	झारखंड	38	70	304	46	168
5.	कर्नाटक	40	311	362	215	302
6.	केरल	16	0	502	0	271
7.	मध्य प्रदेश	44	56	125	40	98
8.	महाराष्ट्र	54	133	183	125	151
9.	मणिपुर	19	15	113	14	10
10.	मेघालय	16	7	14	5	9
11.	मिजोरम	08	15	20	14	16
12.	ओड़िशा	48	203	469	137	392
13.	राजस्थान	39	23	210	15	123
14.	सिक्किम	8	6	56	3	27
15.	त्रिपुरा	8	39	55	27	42
16.	उत्तर प्रदेश	54	0	220	0	140

अनुबंध-5.2(डी)

शिक्षा विभाग के आंकड़ों की तुलना में पूरे राज्य के विद्यालयों में पेयजल सुविधा की स्थिति

(31.3.2017 को)

(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विद्यालयों की संख्या			पेय जल सुविधा के साथ ग्रामीण विद्यालय की सं.		
		आईएमआईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर	आईएमआईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर
1.	अरुणाचल प्रदेश	3480	3513	33	2,898	2,877	21
2.	असम	29,841	45,827	15,986	23,390	42,357	18,967
3.	गोवा	224	1,551	1,327	163	1,200	1,037
4.	कर्नाटक	47,397	43,895	3,502	38,384	43,785	5,401
5.	केरल	1504	11,904	10,400	1,484	11,904	10,420
6.	मध्य प्रदेश	91,550	1,07,391	15,841	77,653	1,02,444	24,791
7.	मणिपुर	2,074	2,973	899	1,700	2,863	1,163
8.	मिजोरम	1,940	2,047	107	1,608	1,883	275
9.	नागालैंड	2,362	1,874	488	1,786	1,476	310
10.	पंजाब	15,176	19,458	4,282	15,175	19,374	4,199
11.	उत्तराखंड	6,545	16,994	10,449	5,306	686	4,620

अनुबंध-5.2(ई)

शिक्षा विभाग के आंकड़ों की तुलना में चयनित जिलों के विद्यालयों में पेयजल सुविधा की स्थिति (31.3.2017 को)

(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला की सं.	विद्यालयों की संख्या			पेय जल सुविधा के साथ ग्रामीण विद्यालयों की सं.			
			आईएमआईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर	जिला की सं.	आईएमआईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	874	779	95	3	783	644	139
		1	245	292	47	1	169	182	13
2.	असम	9	12,242	19,922	7,680	9	9,850	17,960	8,110
3.	कर्नाटक	9	17,663	14,728	2,935	8	12,364	13,563	1,199
		1	775	931	156	2	2,244	2,051	193
4.	केरल	4	479	4,367	3,888	4	469	4,367	3,898
5.	मणिपुर	4	1,058	1,438	380	4	843	1,431	588
6.	मिजोरम	2	706	557	149	2	638	550	88
7.	नागालैंड	3	770	587	183	3	611	442	169
8.	गोवा	2	224	1,551	1,327	2	163	1,200	1,037
9.	मध्य प्रदेश	10	22,349	25,205	2,856	10	18,898	24,016	5,118
10	महाराष्ट्र	4	9,085	8,608	477	4	9,085	8,608	477
		6	14,772	16,414	1,642	6	14,771	16,365	1,594
11	पंजाब	7	5,924	7,007	1,083	7	5,924	6,918	994

अनुबंध- 5.2 (एफ)
जल परीक्षण प्रयोगशालाएं
(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की सं.	चयनित जिलें		चयनित ब्लॉके (अनुमंडल स्तर)		कुल मोबाईल प्रयोगशालाएं	
			आईएमआईएस के अनुसार	भौतिक अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार	भौतिक अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार	भौतिक अभिलेखों के अनुसार
1.	आंध्र प्रदेश	5	14	20	23	18	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	4	5	4	0	0
3.	असम	9	19	27	4	8	7	7
4.	छत्तीसगढ़	8	8	8	1	1	7	18
5.	जम्मू एवं कश्मीर	7	7	7	27	24	4	0
6.	झारखंड	6	6	6	0	1	1	0
7.	कर्नाटक	10	14	10	24	18	1	0
8.	केरल	4	14	14	0	1	0	0
9.	मध्य प्रदेश	10	10	9	2	7	0	1
10.	महाराष्ट्र	10	12	13	36	46	0	0
11.	मेघालय[1]	4	4	3	3	1	0	0
12.	नागालैंड	3	3	3	0	0	1	0
13.	राजस्थान	10	10	10	17	2	0	1
14.	तेलंगाना	3	7	7	17	20	0	0
15.	त्रिपुरा	2	2	2	5	4	0	0
16.	उत्तराखंड	4	0	4	0	4	0	0

[1] **मेघालय** में प्रयोगशालाओं की संख्या में अंतर के संबंध में, विभाग ने इस बात पर सहमत था कि आईएमआईएस में त्रुटियों की वजह से आईएमआईएस में आंकड़े सही नहीं किए जा सकते थे।

अनुबंध-5.2(जी)
गैर-कार्यात्मक योजनाएं (31.3.2017 को)
(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की सं.	योजनाओं की कुल सं.		गैर-कार्यात्मक योजनाओं की कुल सं.	
			आईएमआईएस के अनुसार (बी-17)	भौतिक अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार (बी-17)	भौतिक अभिलेखों के अनुसार
1.	असम	9	44,407	3,108	4,651	357
2.	बिहार	10	36,552	2,76,414	787	50,200
3.	छत्तीसगढ़	8	44,508	1,00,392	7,564	2,855
4.	हिमाचल प्रदेश	6	18,218	14,217	22	470
5.	जम्मू एवं कश्मीर	7	4,675	3,210	7	4
6.	झारखंड	6	1,10,126	1,18,926	8,031	23,467
7.	मध्य प्रदेश	10	1,46,291	51,120	14,416	4,736
8.	महाराष्ट्र	10	58,856	61,260	1,218	7,143
9.	मेघालय	4	6,368	1,896	277	65
10.	मिजोरम	2	255	309	0	0
11.	नागालैंड	3	1,280	1,280	3	24
12.	ओड़िशा	8	1,49,224	1,30,741	6,699	1,476
13.	पंजाब	7	5,227	5,227	166	38
14.	राजस्थान	10	33,543	17,853	2,111	133
15.	सिक्किम	2	2,879	935	0	1
16.	त्रिपुरा	2	7,054	8,795	2,267	632
17.	उत्तर प्रदेश	10	3,09,256	4,11,627	2,413	21,094
18.	उत्तराखंड	4	11,435	11,381	9	0

अनुबंध-5.2 (एच)

चयनित ग्राम पंचायतों में योजनाओं की श्रेणी

(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं	राज्य का नाम	जीपी की सं.	कुल			पीडब्ल्यूएस				हैंड पंप				अन्य			
			आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर
1.	आंध्र प्रदेश	2	50	58	8	10	51	21	30	1	22	23	1	2	0	14	14
		10	135	99	36	2	26	30	4	11	86	69	17	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	137	107	30	16	133	103	30	16	4	4	0	16	0	0	0
3.	असम	22	624	1,063	439	6	20	29	9	19	422	635	213	19	14	10	4
		24	1,416	541	875	40	222	159	63	27	1,313	406	907	27	49	365	316
4.	बिहार	40	897	884	13	40	59	50	9	40	839	839	0	40	0	0	0
5.	हिमाचल प्रदेश	6	80	123	43	3	5	9	4	9	41	103	62	1	1	0	1
		20	351	268	83	23	231	173	58	17	154	106	48	-	-	-	-
6.	जम्मू एवं कश्मीर	29	354	287	67	27	110	93	17	2	4	9	5	1	1	0	1
		-	-	-	-	2	1	3	2	27	238	201	37	-	-	-	-
7.	केरल	16	0	542	542	16	0	210	210	16	0	179	179	16	0	153	153
8.	मध्य प्रदेश	6	169	226	57	44	40	24	16	6	165	216	51	4	0	11	11
		38	1,241	816	425	-	-	-	-	38	1,205	791	414	-	-	-	-
9.	महाराष्ट्र	11	86	44	42	5	9	15	6	42	98	399	301	35	1	0	1
		43	234	535	301	49	164	74	90	12	48	18	30	19	0	73	73
10.	मिजोरम	8	9	46	37	8	9	17	8	8	0	24	24	2	0	5	5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
11.	नागालैंड	23	60	52	8	23	60	52	8	23	0	0	0	23	0	0	0

क्र.सं	राज्य का नाम	जीपी की सं.	कुल			पीडब्ल्यूएस				हैंड पंप				अन्य			
			आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर
12.	ओड़िशा	4	183	225	42	1	2	3	1	4	170	213	43	-	-	-	-
		44	3,146	3,099	47	47	109	103	6	44	3,026	2,983	43	4	22	22	0
13.	राजस्थान	17	62	226	164	4	4	18	14	10	29	162	133	5	0	17	17
		22	801	265	536	35	75	47	28	29	738	237	501	32	16	10	6
14.	सिक्किम	1	34	37	3	2	41	51	10	-	-	-	-	8	37	0	37
		7	212	119	93	6	168	105	63	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	तमिलनाडु	42	2,011	1,961	50	42	976	976	0	42	857	807	50	42	178	178	0
16.	उत्तर प्रदेश	32	2,879	4,138	1259	4	0	4	4	31	2,765	3,944	1179	-	-	-	-
		22	1,216	1,204	12	50	42	42	0	23	1,364	1,352	12	-	-	-	-
17.	उत्तराखंड	13	70	43	27	14	72	39	33	-	-	-	-	2	2	0	2
		7	15	26	11	6	11	22	11	-	-	-	-	5	0	8	8

अनुबंध- 5.2 (आई)

सीडब्ल्यूपीपी के साथ बस्तियों की संख्या

(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं	राज्य का नाम	जिलों की सं.	सीडब्ल्यूपीपी के साथ बस्तियों की संख्या	
			आईएमआईएस के अनुसार (सी-17ए)	साईट या अभिलेख के अनुसार
1.	असम	9	1	0
2.	झारखंड	6	20	0
3.	कर्नाटक	10	37	82
4.	केरल	4	2	0
5.	महाराष्ट्र	10	0	2
6.	राजस्थान	10	50	53
7.	उत्तर प्रदेश	10	0	4

अनुबंध - 5.2 (जे)
बस्तियों में जल गुणवत्ता की स्थिति
(पैरा 5.3.2 के संदर्भ)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बस्तियों की सं.	चयनित बस्तियों में पानी की गुणवत्ता की स्थिति (रासायनिक प्रभावित, जीवाणु प्रभावित या पीने योग्य)			
			पीने योग्य		पीने योग्य नहीं (रासायनिक प्रभावित, जीवाणु प्रभावित)	
			आईएमआईएस के अनुसार	साईट या अभिलेख के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार	साईट या अभिलेख के अनुसार
1.	आंध्र प्रदेश	32	32	19	0	13
2.	असम	184	164	68	20	108[2]
3.	छत्तीसगढ़	113	106	106	7	4
4.	कर्नाटक	160	90	90	70	0
5.	केरल	16	14	14	2	0
6.	मध्य प्रदेश	176	176	166	0	10
7.	महाराष्ट्र	54	53	45	1	0
8.	राजस्थान	87	68	62	19	25
9.	तेलंगाना	14	6	6	8	0
10.	उत्तर प्रदेश	178	175	165	0	9

[2] 3 बस्तियों में जानकारी उपलब्ध नहीं है और 5 बस्तियों में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया।